।। कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ।।

पत्रांकः 1266 / 12-1 दिनांक, गोपेश्वर, 19/09/2024

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः— जनपद चमोली में राष्ट्रीय राजमार्ग सं0— 07 (पुराना एन0एच0—58) के किमी0 399.00 से किमी0 460.00 में मौजूदा सड़क का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 40.8916 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु (MoRTH) NHIDCL को प्रत्यावर्तन। (FP/UK/Road/39349/2019)

संदर्भः— **आपकी पत्र सं0 494/12—1 दिनांक 23.08.2024 एवं भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून की पत्र सं0 08बी/यू0सी0पी0/06/76/2020/एफ0सी0/1386 दिनांक 14.02.2024. एव पत्र सं0 08बी/यू0सी0पी0/06/76/2020/एफ0सी0 दिनांक 05.01.2024.**

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि भारत सरकारण पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून की पत्र सं0 08बी/यू0सी0पी0/06/76/2020/एफ0सी0 दिनांक 05.01.2024**(संलग्न)** से दो बिन्दुओं की सूचना चाही गयी थी, के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर की पत्र सं0 3539/12—1 दिनांक 23.01.2024**(संलग्न)** से अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित की गयी है, जो निम्न तालिका में बिन्दु सं0 2 व 03 पर अंकित है, तथा प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी एवं वन संरक्षण, उत्तराखण्ड देरादून की पत्र सं0 2234/12—1 दिनांक 19.02.2024 के साथ संलग्न भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून की पत्र सं0 08बी/यू0सी0पी0/06/76/2020/एफ0सी0 दिनांक 14.02.2024**(संलग्न)** से प्रस्ताव पर आर0ई0सी0 की बैठक दिनांक 24.01.2024 से चार बिन्दुओ की सूचना चाही गयी, उक्त पत्र में चाही गयी दो बिन्दुओ (बिन्दु सं0 02 व बिन्दु सं0 03) की सूचना पूर्व में 3539/12—1 दिनांक 23.01.2024**(संलग्न)** से प्रेषित की गयी है, भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून द्वारा दिये गये निर्देशानुसार पत्र में 04 बिन्दुओं के सम्बन्ध में सूचना/विस्तृत आख्या निम्नानुसार प्रेषित हैः—

क्र0 सं0	भारत सरकार द्वारा चाही गयी सूचना	आख्या
1.	The State Forest Department shall submit the KML file CA area along with photographs showing that the identified CA areas does not have MDF/VDF Cover.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल के क्षेत्र की के0एम0एल0 फाईल एवं फोटोग्राफ पेन ड्राइव में इस कार्यालय की पत्र सं0 697/12—1 दिनांक 09.08.2024 से व्यक्तिगत रूप से आपके कार्यालय में जमा की गयी हैं।
2.	Whether as per CAMPA rule, the proposed CA plan (where advance work has been done) is approved through steering and executive committee of the Campa or not.	महोदय अवगत कराना है कि प्रकरण में भारत सरकार की पत्र सं0 08बी/यूसीपी/06/76/2020/778 दिनांक 29.07.2020**(संलग्न—1)** से प्रकरण में सैद्वान्तिक स्वीकृति में निर्गत शर्तो के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा दिनांक 14.08.2020 से क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं एन0पी0वी0 की धनराशि एडहॉक कैम्पा में जमा की गई है**(संलग्न—2)**। 1— मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तराखण्ड कैम्पा महोदय द्वारा वर्ष 2021—22 की कार्ययोजना दिनांक 23.02.2021 को कार्यदायी समिति (Excutive Committee) **(संलग्न—3)** से तथा दिनांक 05.04.2021 को संचालन समिति (Steering Committee) **(संलग्न—04)** से अनुमोदित कराते हुए वर्ष 2021—22 हेतु कुल 6000 है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तराखण्ड कैम्पा के पत्र सं0 475/7—1(4) दिनांक 21.09.2021**(संलग्नक—05)** से अग्रिम मृदा कार्य (ASW) स्वीकृत किया गया। पत्र के साथ संलग्नक में वर्ष 2021—22 हेतु बद्रीनाथ वन प्रभाग के लिए अग्रिम मृदा कार्य के लिए 253.33है0 लक्ष्य दिया गया। बद्रीनाथ वन प्रभाग की पत्र सं0 1684/1176/7—1(4) दिनांक 27.10.2021 **(संलग्नक—06)** से वर्ष 2021—22 की प्रेषित वार्षिक कार्ययोजना 150.295है0 मुख्य कार्यकारी उत्तराखण्ड कैम्पा को प्रेषित की गयी है जिसमें चारधाम परियोजना प्रकरण से सम्बन्धित 40.50है0 क्षेत्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अग्रिम मृदा कार्य (ASW) का लक्ष्य भी सम्मिलित था। बद्रीनाथ वन प्रभाग की वर्ष 2021—22 को प्रेषित वार्षिक कार्ययोजना 150.29है0 को अग्रिम मृदा कार्य हेतु मुख्यकार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा की पत्र सं0 649/3—3(5)/202—22 दिनांक 12.11.2021 **(संलग्न—07)** से स्वीकृत किया गया।

		2– मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तराखण्ड कैम्पा महोदय द्वारा वर्ष 2022–23 की कार्ययोजना दिनांक 04.04.2022 को कार्यकारी समिति(Excutive Commitee) **(संलग्न–08)** से तथा दिनांक 24.05.2022 को संचालन समिति (Steering Committee) **(संलग्न–09)** से अनुमोदित कराते हुए वर्ष 2022–23 हेतु कुल 2200है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण कार्य हेतु अग्रिम मृदा कार्य (ASW) स्वीकृति किया गया , बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर की पत्र सं0 1384/11–6 दिनांक 09.09.2022 **(संलग्न–10)** से 157.455है0 अग्रिम मृदा कार्य हेतु वर्ष 2022–23 की वार्षिक कार्ययोजना वन संरक्षक गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौड़ी को प्रेषित की गयी, जिसमें चारधाम से सम्बन्धित 26.00है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अग्रिम मृदा कार्य (ASW) का लक्ष्य भी सम्मिलित था। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा वर्ष 2022–23 में कुल 280.20 है0 अग्रिम मृदा कार्य हेतु लक्ष्य प्राप्त हुआ। प्राप्त लक्ष्य के सापेक्ष प्रकरणवार सूचना बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर की पत्र सं0 3129/11–6 दिनांक 27.12. 2022**(संलग्न–11)** से मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तराखण्ड कैम्पा को प्रेषित की गयी, जिसमें चारधाम से सम्बन्धित प्रकरण के क्षेत्र 26.00है0 को भी सम्मिलित किया गया।
3.	The reason to carry out the advance work in proposed CA area without the approval of Regional office, MoEF & CC.	प्रकरण अतिमहत्वपूर्ण चारधाम परियोजना से सम्बन्धित है इसलिए प्राथमिकता के आधार पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण कराने के दृष्टिगत बद्रीनाथ वन प्रभाग द्वारा वृक्षारोपण कार्य कैम्पा कार्यकारी समिति(Executive Committee) तथा संचालन समिति(Steering Committee) के अनुमोदन उपरान्त ही सम्पादित किया गया, तथा क्षतिपूरक वृक्षारोपण के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड शासन द्वारा भी निर्देश दिये गये कि क्षतिवृक्षारोपण कार्य अतिमहत्वपूर्ण कार्य है, जिसकी मॉनिटरिंग भारत सरकार एवं मा0 सर्वोच्च न्यायालय के स्तर से भी की जा रही है, इसके लक्ष्यो को मानको के अनुरूप समयान्तर्गत पूर्ण किया जाय। महोदय, भविष्य यह सुनिश्चित किया जायेगा कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थलों में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा स्वीकृत/अनुमोदन के उपरान्त ही स्वीकृत स्थलो में क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जायेगा।
4.	The State Forest department shall enquire the matter as to why the CA has been carried out without taking approval of Regional office, MoEF & CC and submit detailed explanation against the officers responsible for the same.	महोदय प्रकरण चारधाम परियोजना से सम्बन्धित है इसलिए प्राथमिकता के आधार पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण कराने के दृष्टिगत इस महत्वपूर्ण प्रकरण में क्षतिपूरक वृक्षारोपण मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तराखण्ड कैम्पा महोदय द्वारा कार्यकारी समिति एवं संचालन समिति द्वारा अनुमोदित करने के उपरान्त ही क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया गया है, तथा क्षतिपूरक वृक्षारोपण के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड शासन द्वारा भी निर्देश दिये गये कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण अतिमहत्वपूर्ण कार्य है, जिसकी मॉनिटरिंग भारत सरकार एवं मा0 सर्वोच्च न्यायालय के स्तर से भी की जा रही है, इसके लक्ष्यो को मानको के अनुरूप समयान्तर्गत पूर्ण किया जाय। महोदय, भविष्य में यह सुनिश्चित किया जायेगा, कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण, भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित होने के उपरान्त ही स्वीकृत स्थलो में क्षतिपूरक वृक्षारोपण कार्य किया जायेगा।

अतः महोदय से सादर अनुरोध है कि चारधाम परियोजना प्रकरण की महत्ता को मध्यनजर रखते हुए प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत करने हेतु अपनी संस्तुति सहित प्रस्ताव भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून को भेजने की कृपा करे। ताकि प्रकरण में विधिवत स्वीकृति प्राप्त हो सके।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(सर्वेश कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी,

बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांकः– 1266 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपिः– वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी को उपरोक्तानुसार संलग्नको सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(सर्वेश कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी,

बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

1/61942/2024

8B/UCP/06/76/2020/FC

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय /
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून /
Regional Office, Dehradun
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001/ 25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
दूरभाष/ PHONE-0135-2650809, ई-मेल/ E-mail-moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 8 बी/यू.सी.पी./06/76/2020/एफ.सी. दिनांकः 05/01/2024

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः- जनपद -चमोली में राष्ट्रीय राजमार्ग सं0-07 (पुराना एन0एच0-58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 में मोजूदा सड़क का चैड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 40.8916 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु MORTH (NHIDCL) को प्रत्यावर्तन। (Online no FP/UK/ROAD/39349/2019)

सन्दर्भः- कार्यालय- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक – 969/12-1: देहरादूनः दिनांक 20.11.2023

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव पर आर.ई.सी. की बैठक दिनांक 30.05.2023 में चर्चा की गई थी जिसके अन्तर्गत समिति द्वारा 02 बिन्दुओं पर जानकारी/ दस्तावेज चाहे गये थे जिसके जवाब मे प्रेषित संदर्भित पत्र का अवलोकन किया गया एवं पाया गया कि निम्नाँकित बिन्दुओं पर अभिलेख/दस्तावेज अपेक्षित है :-

1. Whether as per CAMPA rule, the proposed CA plan (where advance work has been done) is approved through Steering and executive committee of the State CAMPA or not.
2. The reason to carry out the advance work in proposed CA area without the approval of Regional Office, MoEF&CC.

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त के क्रम मे जवाब प्रदान करें ताकि प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

भवदीया,

Signed by Neelima Shah
Date: 05-01-2024 12:56:03
Reason: Approved

(नीलिमा शाह, भा०व०से०)
सहायक महानिरीक्षक वन (केन्द्रीय)

प्रतिलिपिः-अपर मुख्य सचिव (वन) उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड, देहरादून सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

E-Mail - ... Phone/Fax No :- 01372-252175

।। कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ।।

पत्रांक 3539 /12-1 दिनांक, गोपेश्वर, जनवरी 23 /2024

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय— जनपद चमोली में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या—07 (पुराना एन0एच0—58) के किमी0 399.000 से किमी0 460.000 में मौजूदा सड़क चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 40.8916 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु MoRTH (NHIDCL) को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ— आपका पत्रांक 1300/12–1 दिनांक 08.01.2024 एवं भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून की पत्र सं0 8बी/यू0सी0पी0/06/76/2020/एफ0सी0 दिनांक 05.01.2024.

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित के साथ संलग्न भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून की पत्र में विषयांकित प्रकरण में दो बिंदुओं की सूचना इस कार्यालय की पत्र सं0 3372/12–1 दिनांक 06.01.2024 से पूर्व में प्रेषित की गयी, जिसे संशोधित कर बिन्दुवार आख्या/सूचना निम्न प्रकार आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है:—

बिन्दु संख्या	चाही गई सूचना	आख्या
1.	Whether as per CAMPA rule, the proposed CA Plan (Where Advance Soil works has been done) is approved through Steering anc executive committee of the State CAMPA or not.	प्रकरण में भारत सरकार की पत्र संख्या–8बी/यूसीपी /06/76/ 2020/778 दिनांक 29–07–2020 (छायाप्रति संलग्नक–01) से प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति में निर्गत शर्तों के अनुपालन में प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा दिनांक 14–08–2020 से क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं एन0पी0वी0 की धनराशि एडहॉक कैम्पा में जमा की गई है (छायाप्रति संलग्नक–02) 1– मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तराखण्ड कैम्पा महोदय द्वारा वर्ष 2021–22 की कार्ययोजना दिनांक 23–02–2021 को कार्यकारी समिति (Excutive Committee) (छायाप्रति संलग्नक–03) से तथा दिनांक 05–04–2021 को संचालन समिति (Steering Committee) (छायाप्रति संलग्नक–04) से अनुमोदित कराते हुए वर्ष 2021–22 हेतु कुल 6000 हैक्टेयर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु मुख्य कार्यकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा के पत्र सं0 475/7–1(4) दिनांक 21.09.2021(छायाप्रति संलग्नक–05) से अग्रिम मृदा कार्य (ASW) स्वीकृत किया गया। पत्र के साथ संलग्नक में वर्ष 2021–22 हेतु इस वन प्रभाग के लिए अग्रिम मृदा कार्य के लिए 253.33 है0 लक्ष्य दिया गया। इस कार्यालय की पत्र सं0 1684/11–6/7–1(4) दिनांक 27.10.2021 (छायाप्रति संलग्नक–06) से वर्ष 2021–22 की वार्षिक योजना 150.295 है0 मुख्य कार्यकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा को प्रेषित की गयी है जिसमें चारधाम प्रकरण से संबंधित 40.50 है0 क्षेत्र में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु अग्रिम मृदा कार्य (ASW) का लक्ष्य भी सम्मिलित था। बद्रीनाथ वन प्रभाग की वर्ष 2021–22 की प्रेषित वार्षिक कार्ययोजना 150.29 है0 को अग्रिम मृदा कार्य हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा की पत्र सं0 649/3–3(5)/2021–22 दिनांक 12.11.2021 (छायाप्रति संलग्नक–07) से स्वीकृत किया गया। 2– मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तराखण्ड कैम्पा महोदय द्वारा वर्ष 2022–23 की कार्ययोजना दिनांक 04–04–2022 को कार्यकारी समिति (Excutive Committee) (छायाप्रति संलग्नक–08) से तथा दिनांक 24–05–2022 को संचालन समिति (Steering Committee) (छायाप्रति संलग्नक–09) से अनुमोदित कराते हुए वर्ष 2022–23 हेतु कुल 2200 हैक्टेयर क्षतिपूरक वृक्षारोपण कार्य हेतु अग्रिम मृदा कार्य (ASW) स्वीकृत किया गया, इस कार्यालय की पत्र सं0 1384/11–6 दिनांक 09.09.2022(संलग्न–10) से 157.455 है0 अग्रिम मृदा कार्य हेतु वर्ष 2022–23 की वार्षिक कार्ययोजना वन संरक्षक गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौड़ी को प्रेषित की गयी, जिसमें चारधाम से सम्बन्धित 26.00 है0 क्षतिपूरक वनीकरण हेतु अग्रिम मृदा कार्य

CamScanner

Scanned with CamScanner

		(ASW) का लक्ष्य भी सम्मिलित था। अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं मुख्य कार्यकारी उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा वर्ष 2022–23 में कुल 280.20है0 अग्रिम मृदा कार्य हेतु लक्ष्य प्राप्त हुआ, प्राप्त लक्ष्य के सापेक्ष प्रकरणवार सूचना इस कार्यालय की पत्र सं0 3129/11–8 दिनांक 27.12.2022 (संलग्न–11) से मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैम्पा को प्रेषित की गयी, जिसमें चारधाम से सम्बन्धित प्रकरण के क्षेत्र 26.00है0 को भी सम्मिलित किया गया। इस प्रकार इस अति–महत्वपूर्ण चारधाम परियोजना से संबंधित 66.50 है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण कार्य बद्रीनाथ वन प्रभाग द्वारा सम्पादित किया गया है।
2.	The reason to carry out the advance work in proposed CA area without the approval of Regional office, MoEF&CC.	अति–महत्वपूर्ण चारधाम परियोजना में प्राथमिकता के आधार पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण कराने के दृष्टिगत बद्रीनाथ वन प्रभाग द्वारा प्रस्तावित उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण कार्य कैम्पा कार्यकारी समिति (Excutive Committee) तथा संचालन समिति (Steering Committee) के अनुमोदन उपरांत ही सम्पादित किया गया।

अतः आपसे अनुरोध है कि प्रकरण भारत सरकार की महत्वकांक्षी चारधाम परियोजना है, जो मा0 प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्राजेक्ट है, के दृष्टिगत प्रकरण में विधिवत स्वीकृत निर्गत करने की महती कृपा करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(सर्वेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांक 3539 / 12-1 उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपिः– मुख्य वन संरक्षक, (गढ़वाल), उत्तराखण्ड पौड़ी को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौड़ी को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(सर्वेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

Scanned with CamScanner

कार्यालय– प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
Email id: nodalofficerddn@gmail.com
Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 2234 / 12-1 :देहरादूनः दिनांकः 19 फरवरी, 2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
ब्रदीनाथ वन प्रभाग,
गोपेश्वर।

विषय :– जनपद– चमोली में राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–07 (पुराना एन0एच0–58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.00 में मोजूदा सड़क का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 40.8916 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु MORTH (NHIDCL) को प्रत्यावर्तन। ऑनलाईन प्रस्ताव सं0:– FP/UK/ROAD/39349/2019

संदर्भ :– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु, परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्र दिनांक 14.02.2024 (प्रति संलग्न)।

महोदय,

भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे प्रकरण पर 04 बिन्दुओं की सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः भारत सरकार द्वारा लगाये गये उपरोक्त ई0डी0एस0 का उत्तर Parivesh Portal पर पार्ट–। एवं पार्ट–।। में यथास्थान संशोधन करने के उपरान्त पार्ट–। एवं पार्ट–।। के अतिरिक्त सूचना (Additional Information) में प्रश्न–उत्तरवार/बिन्दुवार आख्या अपनी पूर्ण संस्तुति के साथ अपलोड़ करते हुये प्रकरण इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः– यथोपरि।

पंजी. सं. 242
फाइल सं. 12-1
दिनांक 10/7/2024
प्रभाग - बद्रीनाथ वन प्रभाग

भवदीय,

प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

संख्या– 2234 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वन संरक्षक, गढवाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
2. महाप्रबन्धक परियोजना, NHIDCL लेन नं0–1, अपर भक्तियाना, पौड़ी रोड़, श्रीनगर गढ़वाल।

कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड पौड़ी
7924
121
दिनांक 22/6/24

प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

P.T.O

कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

पत्रांकः– 06 / 121 , दिनांक, पौड़ी, ~~जून~~ 02/07/2024.

प्रतिलिपिः– प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर को इस आशय से प्रेषित कि विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/76/2020/एफ0सी0 I/65325/2024 दिनांक 14.02.2024 (संलग्न) से चाही गई 04 बिन्दुओं की सूचना अविलम्ब इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः– यथोपरि।

(आकाश कुमार वर्मा)
वन संरक्षक
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौड़ी।

पंजी. सं. ....
फाइल सं. ....
दिनांक ....
प्रभाग - बद्रीनाथ वन प्रभाग

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय /
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून /
Regional Office, Dehradun
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001/ 25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
दूरभाष/ PHONE-0135-2650809, ई-मेल/ E-mail-moef.ddn@gov.in

सत्यमेव जयते

पत्र सं0 8बी/यू.सी.पी./06/76/2020/एफ.सी. दिनांक: 14 /02/2024

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः- जनपद -चमोली में राष्ट्रीय राजमार्ग सं0-07 (पुराना एन0 एच 0-58) के कि0 मी0 399.000 से कि0 मी0 460.000 में मोजूदा सड़क का चैड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 40.8916 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु MORTH (NHIDCL) को प्रत्यावर्तन। (Online no FP/UK/ROAD/39349/2019)

सन्दर्भः- इस कार्यालय द्वारा आयोजित आर.ई.सी. की बैठक दिनांक 24.01.2024 के उपरांत जारी किए गए कार्यव्रत (copy of MoM REC meeting is enclosed)

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव पर आर.ई.सी. की बैठक दिनांक 24.01.2024 में चर्चा की गई थी जिसमें प्रस्ताव पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया:

After detailed discussion on various aspects of the proposal, the REC decided to recommend the proposal for Stage-II approval subject to submission of information/document/clarification on following points:

1. The State Forest Department shall submit the KML file CA area along with photographs showing that the identified CA areas does not have MDF/ VDF cover.
2. Whether as per CAMPA rule, the proposed CA plan (where advance work has been done) is approved through Steering and executive committee of the CAMPA or not.
3. The reason to carry out the advance work in proposed CA area without the approval of Regional Office, MoEF&CC.
4. The State Forest Department shall enquire the matter as to why the CA has been carried out without taking approval of Regional Office, MoEF&CC and submit detailed explanation against the officers responsible for the same.

As the CA work has been carried out without approval of competent authority, this activity should not be repeated by State Forest Department and post-facto approval in such scenario in any other case will not be granted in future.

उपरोक्त के क्रम में जवाब प्राप्ति के उपरांत ही प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी ।

संलग्नकः- यथोपरि।

Signed by Neelima Shah
Date: 14-02-2024 14:59:20

भवदिया,

(नीलिमा शाह, भा०व०से०)
सहायक महानिरीक्षक वन (केन्द्रीय)

प्रतिलिपिः-अपर मुख्य सचिव (वन) उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड़, देहरादून सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

E-Mail: ... Phone/Fax No.:- 01372-252175

।। कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ।।

पत्रांक 3539 / 12-1 दिनांक, गोपेश्वर, जनवरी 23 /2024

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय– जनपद चमोली में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–07 (पुराना एन0एच0–58) के किमी0 399.000 से किमी0 460.000 में मौजूदा सड़क चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 40.8918 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु MoRTH (NHIDCL) को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ:– आपका पत्रांक 1300/12–1 दिनांक 08.01.2024 एवं भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून की पत्र सं0 08बी/यू0सी0पी0/06/76/2020/एफ0सी0 दिनांक 05.01.2024.

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित के साथ संलग्न भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून की पत्र में विषयांकित प्रकरण में दो बिंदुओं की सूचना इस कार्यालय की पत्र सं0 3372/12–1 दिनांक 06.01.2024 से पूर्व में प्रेषित की गयी, जिसे संशोधित कर बिन्दुवार आख्या/सूचना निम्न प्रकार आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है:–

बिन्दु संख्या	चाही गई सूचना	आख्या
1.	Whether as per CAMPA rule, the proposed CA Plan (Where Advance Soil works has been done) is approved through Steering anc executive committee of the State CAMPA or not.	प्रकरण में भारत सरकार की पत्र संख्या–8बी/यूसीपी /06/76/ 2020/778 दिनांक 29–07–2020 (छायाप्रति संलग्नक–01) से प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति में निर्गत शर्तों के अनुपालन में प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा दिनांक 14–08–2020 से क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं एन0पी0वी0 की धनराशि एडहॉक कैम्पा में जमा की गई है (छायाप्रति संलग्नक–02) 1– मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तराखण्ड कैम्पा महोदय द्वारा वर्ष 2021–22 की कार्ययोजना दिनांक 23–02–2021 को कार्यकारी समिति (Excutive Committee) (छायाप्रति संलग्नक–03) से तथा दिनांक 05–04–2021 को संचालन समिति (Steering Committee) (छायाप्रति संलग्नक–04) से अनुमोदित कराते हुए वर्ष 2021–22 हेतु कुल 6000 हैक्टेयर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु मुख्य कार्यकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा के पत्र सं0 475/7–1(4) दिनांक 21.09.2021(छायाप्रति संलग्नक–05) से अग्रिम मृदा कार्य (ASW) स्वीकृत किया गया। पत्र के साथ संलग्नक में वर्ष 2021–22 हेतु इस वन प्रभाग के लिए अग्रिम मृदा कार्य के लिए 253.33 है0 लक्ष्य दिया गया। इस कार्यालय की पत्र सं0 1684/11–6/7–1(4) दिनांक 27.10.2021 (छायाप्रति संलग्नक–06) से वर्ष 2021–22 की वार्षिक योजना 150.295 है0 मुख्य कार्यकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा को प्रेषित की गयी है जिसमें चारधाम प्रकरण से संबंधित 40.50 है0 क्षेत्र में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु अग्रिम मृदा कार्य (ASW) का लक्ष्य भी सम्मिलित था। बद्रीनाथ वन प्रभाग की वर्ष 2021–22 की प्रेषित वार्षिक कार्ययोजना 150.29 है0 को अग्रिम मृदा कार्य हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा की पत्र सं0 549/3–3(5)/2021–22 दिनांक 12.11.2021 (छायाप्रति संलग्नक–07) से स्वीकृत किया गया। 2– मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तराखण्ड कैम्पा महोदय द्वारा वर्ष 2022–23 की कार्ययोजना दिनांक 04–04–2022 को कार्यकारी समिति (Excutive Committee) (छायाप्रति संलग्नक–08) से तथा दिनांक 24–05–2022 को संचालन समिति (Steering Committee) (छायाप्रति संलग्नक–09) से अनुमोदित कराते हुए वर्ष 2022–23 हेतु कुल 2200 हैक्टेयर क्षतिपूरक वृक्षारोपण कार्य हेतु अग्रिम मृदा कार्य (ASW) स्वीकृत किया गया, इस कार्यालय की पत्र सं0 1384/11–6 दिनांक 09.09.2022(संलग्न–10) से 157.455 है0 अग्रिम मृदा कार्य हेतु वर्ष 2022–23 की वार्षिक कार्ययोजना वन संरक्षक गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौड़ी को प्रेषित की गयी, जिसमें चारधाम से सम्बन्धित 26.00 है0 क्षतिपूरक वनीकरण हेतु अग्रिम मृदा कार्य

CamScanner

Scanned with CamScanner

		(ASW) का लक्ष्य भी सम्मिलित था। अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं मुख्य कार्यकारी उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा वर्ष 2022–23 में कुल 280.20है0 अग्रिम मृदा कार्य हेतु लक्ष्य प्राप्त हुआ, प्राप्त लक्ष्य के सापेक्ष प्रकरणवार सूचना इस कार्यालय की पत्र सं0 3129/11–8 दिनांक 27.12.2022 (संलग्न–11) से मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैम्पा को प्रेषित की गयी, जिसमें चारधाम से सम्बन्धित प्रकरण के क्षेत्र 26.00है0 को भी सम्मिलित किया गया। इस प्रकार इस अति–महत्वपूर्ण चारधाम परियोजना से संबंधित 66.50 है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण कार्य बद्रीनाथ वन प्रभाग द्वारा सम्पादित किया गया है।
2.	The reason to carry out the advance work in proposed CA area without the approval of Regional office, MoEF&CC.	अति–महत्वपूर्ण चारधाम परियोजना में प्राथमिकता के आधार पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण कराने के दृष्टिगत बद्रीनाथ वन प्रभाग द्वारा प्रस्तावित उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण कार्य कैम्पा कार्यकारी समिति (Excutive Committee) तथा संचालन समिति (Steering Committee) के अनुमोदन उपरांत ही सम्पादित किया गया।

अतः आपसे अनुरोध है कि प्रकरण भारत सरकार की महत्वकांक्षी चारधाम परियोजना है, जो मा0 प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्राजेक्ट है, के दृष्टिगत प्रकरण में विधिवत स्वीकृत निर्गत करने की महती कृपा करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(सर्वेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांक 3539 / 12-1 उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपिः– मुख्य वन संरक्षक, (गढ़वाल), उत्तराखण्ड पौड़ी को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौड़ी को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(सर्वेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

Scanned with CamScanner

सत्यापित-01

978/X-3/2020 1(07)/2020

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-मध्य क्षेत्र)
25 सुभाश रोड, देहरादून-248001
दूरभाष: 0135-2650809
फैक्स-0135-2653010
ईमेल - moef.ddn@gov.in

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZONE
25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 8बी/यू0सी0पी0/06/76/2020/एफ0सी0 | 778

दिनांक: 29/07/2020

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय : जनपद –चमोली में राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–07 (पुराना एन0एच0–58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 में मोजूदा सड़क का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 40.8916 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु **MORTH (NHIDCL)** को प्रत्यावर्तन । **(Online no FP/UK/Road/39349/2019)**

संदर्भ: अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक **153/FP/UK/Road/39349/2019 दिनांक 16.07.2020**

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No FP/UK/Road/39349/2019 एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण पर समय–समय पर राज्य सरकार से आवश्यक जानकारियां/दस्तावेज प्राप्त किये गये, जिनके प्राप्त होने के उपरान्त तथा प्रस्ताव पर Regional Empowered Committee (REC) की दिनांक 24, जुलाई 2020 को हुई बैटक में संस्तुति होने के उपरान्त केन्द्र सरकार – जनपद –चमोली में राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–07 (पुराना एन0एच0–58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 में मोजूदा सड़क का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 40.8916 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु **MORTH (NHIDCL)** को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करती है:–

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. **प्रतिपूरक वनीकरण:**

क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 81.7832 हे0 अवनत वन भूमि (देवसारी प्रथम क0नं0 8 में 7.50 हे0, देवसारी द्वितीय क0नं0 10 बी में 5 हे0, देवसारी द्वितीय क0नं0 1 में 10 हे0, कुंजाकोट प्रथम क0नं0 7अ में 15हे0, नवाली चतुर्थ क0नं0 1बी में 3 हे0, नवाली चतुर्थ क0नं0 6अ में 5 हे0, नवाली पंचम क0नं0 1अ पेच 2 में 11.10 हे0, Maikhanda 2 क0नं0 3बी 16.00 हे0, नवाली पंचम क0नं0 9 में 6 हे0, नवाली पंचम क0नं0 1 बी में 4 हे0) प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित की गई है। राज्य सरकार condition no. 8 के अनुसार प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 55 हे0 अन्य क्षेत्र चयनित करेगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचें।

ख)वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत् वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।

4. प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।

5. शुद्ध वर्तमान मूल्य

(क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या: 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ.सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 40.8916 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।

6. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 3457 trees including 1975 saplings से अधिक नही होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।
7. It will be the responsibility of the State Govt. / User agency for strict compliance of the decision/conditions/suggestions imposed by the High Powered Committee (HPC) constituted by the MoEF&CC as per the direction of Hon'ble Supreme Court Order dated 08.08.2019 in M.A Nos. 2678-2680 of 2018 in Civil Appeal Nos. 8518-8520 of 2018 And Contempt Petition (c) No. 423 of 2019 in Civil Appeal No. 10930 of 2018.
8- As per DSS analysis of CA area, 14 ha area found in VDF and 41 ha in MDF. State Government may replace this area with some other suitable area for CA ensuring that no VDF/ MDF falls in that area.
9- State Government may upload/submit the Village Level Committee meeting proceedings for village Kuhaid.
10- REC noticed that only one page muck disposal plan found uploaded mentioning calculation of muck. State Government may submit the Muck Disposal Plan duly authenticated by DFO providing the details of muck likely to be generated, muck proposed to be utilized, balance muck for disposal at identified muck disposal sited, swell factor etc. The carrying capacity of the Muck Dumping sites proposed along with safety measure and rehabilitation/ eco-restoration plan and distance from river is also required to be intimated.
11- State Government may upload the NPV calculation sheet at online portal.
12- Total length of the road is 61.00 km (Km 399.00 to km 460.00) but widening of road is proposed over 23.562 km in forest land (i.e. RF & Civil Soyam). State Govt. may clarify the widening proposed over balance length and legal status of this balance area.
13- Abstract uploaded online showing details of project affected trees is not clear. The name of the area i.e. RF, Civil Soyam, Van Panchyat etc. is required to be mentioned in the abstract. State Government may also provide the correct scientific names of the trees at para-4 of Part II online.
14- One of the CA estimate(s) is prepared for 28.00 ha but the area of the RF comptts mentioned in CA estimate comes to 25.00 ha only. Perhaps the name of Navali-IV comptt. No. 1 b (area 3.00) has been dropped by mistake. State Government may do the needful in this regard.
15- The CA cost norms applied in the CA estimate of 16.00 ha of Ukhimath Range area different from the cost norms applied in other 3 estimates of 66.00 ha. State Government may submit/upload the CA estimate calculated as per the current cost norm.
16- Name of the Navali-IV comptt. No. 1 b is not mentioned in the CA site suitability certificate. State Government may submit/ upload the CA site suitability certificate for Navali-IV comptt. No. 1 b CA area.
17- State Govt. will inform to this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II approval as per guidelines para 11.2. The State Govt. will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.
18. परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/ जमा किए जाएंगे।
19. एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
20. प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढ़ाएगा।
21. संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।
22. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।
23. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

संलग्नक-02

(02)

5

राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड
NATIONAL HIGHWAYS & INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION LTD
Ministry of Road Transport & Highways, Government of India
PMU-CHAMOLI, Office- Hotel Himalayan Resort, Nandprayag -246449
District - Chamoli, Uttarakhand.
E-mail :- nhidclsochamoli@gmail.com

NHIDCL
BUILDING INFRASTRUCTURE - BUILDING THE NATI

भारत सरकार का उपक्रम — A PUBLIC SECTOR UNDERTAKING

NHIDCL/PMU-CHAMOLI/Forest/39349/2020-21/D- 1149 Date 18.02.2021

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वनप्रभाग, गोपेश्वर
जिला–चमोली।

विषय :– जनपद चमोली में राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–07 (पुराना एन0एच.–58) के किमी0 399.000 से किमी0 460.00 में लैण्डस्लाईड का उपचार सहित सडक का चौडीकरण एवं सुढढीकरण हेतु 40.8916 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु MoRTH (NHIDCL) को प्रत्यावर्तन। (Online Proposal no. FP/UK/ROAD/39349/2019)

संदर्भ:– (1) कार्यालय भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/76/2020/एफ0सी0/778 दिनांक 29.07.2020।

(2) इस कार्यालय का पत्रांक NHIDCL/PMU-CHAMOLI/Forest/FP-39349/2020-21/D-437 दिनांक 19.08.2020। (संलग्नक–1)

(3) कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर का पत्रांक 781/12–1 दि0 27.08.2020।

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित कार्य हेतु संदर्भित पत्र सं0 (1) के द्वारा लगयी गयी शर्तो की बिन्दुवार आख्या इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र सं0 (2) के माध्यम से पूर्व में ही आपको प्रेषित की जा चुकी है तथा आपके कार्यालय में हुयी वार्ता के अनुसार बिन्दुवार आख्या पुनः प्रेषित की जा रहा है।

1. शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
2. गैर वन भूमि पूर्व में ही एन0एच0 एक्ट–1956 की धारा 3डी के अन्तर्गत अधिग्रहण के उद्देश्य से भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जा चुकी है।
3. (क) प्रयुक्त शर्त का अनुपालन आपके स्तर से किया जाना है।
   (ख) प्रयुक्त शर्त का अनुपालन आपके स्तर से किया जाना है।
4. शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
5. (क) एन.पी.वी. की धनराशि 5,45,14,869/– खाता सं0 150896139349917 में दि0 14.08.2020 को जमा करा दी गयी है। (संलग्नक–2)
   (ख) शपथ पत्र संलग्न है। (संलग्नक–3)
6. शर्त का अनुपालन किया जायेगा तथा न्यूनतम वृक्ष, जो कि सडक निर्माण के लिये आवश्यक हो का ही पातन किया जायेगा।
7. शर्त का कडाई से अनुपालन किया जायेगा।
8. शर्त का अनुपालन आपके स्तर से किया जाना है।
9. ग्राम कुडेड का ही नाम राजस्व दस्तावेजो में सेमा वर्णित है। ग्राम सेमा का ग्राम स्तरीय बैठक की उपस्थिति पंजिका संलग्न है। (संलग्नक–4)
10. अद्यतन मलवा निस्तारण योजना मय डिजाईन, ड्राईंग संलग्न है। (संलग्नक–5)

18/02/2021

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

NHIDCL/PMU-CHAMOLI/Forest/39349/2020-21/D- 11419   Date 18.02.2021

11. शर्त का अनुपालन आपके स्तर से किया जाना है।
12. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त प्रस्ताव किमी0 399.000 से किमी0 480.000 (81.00 किमी0) के नाम से उल्लेख है, जबकि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किमी0 399.000 से किमी0 480.000 के विभिन्न स्थानों (प्रस्ताव में लगे लैण्ड शैड्यूल) के अनुसार कुल 23.562 किमी0 में ही सड़क का चौड़ीकरण व लैण्ड स्लाईड स्थानों का उपचार किया जायेगा।
13. शर्त का अनुपालन आपके स्तर से किया जाना है।
14. शर्त का अनुपालन आपके स्तर से किया जाना है।
15. शर्त का अनुपालन आपके स्तर से किया जाना है।
16. शर्त का अनुपालन आपके स्तर से किया जाना है।
17. शर्त का अनुपालन आपके स्तर से किया जाना है।
18. परियोजना के तहत मांगी गई धनराशि ई–पोर्टल के माध्यम से चालान निकाल कर ही जमा किया गया है।
19. जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक–6)
20. शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
21. शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
22. आवश्यकतानुसार शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
23. शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
24. शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
25. शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
26. प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा पर भूमि का सीमांकन किया जायेगा।
27. शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
28. शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
29. शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
30. शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
31. शर्त से यह कार्यालय पूर्ण रूप से सहमत है।
32. शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
33. शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
34. शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
35. अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल पर अपलोड की जायेगी।

उक्त के क्रम में कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नक :– यथोपरि।

18/02/2021

(कर्नल संदीप कार्की)
महाप्रबन्धक (तक0 / परि0),
पी0एम0यू0, चमोली।

प्रतिलिपि :–

1. जिलाधिकारी महोदया, गोपेश्वर, जिला–चमोली को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कार्यपालक निदेशक (परि0), क्षेत्रीय कार्यालय–देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रतिलिपि।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

(5) Annexure-3

श्री राजीव भरतरी, प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा की अध्यक्षता में दि0 23.02.2021 को मंथन सभागार में आयोजित उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा) की कार्यकारी समिति की पंचम बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति सदस्यों/प्रतिनिधियों का विवरण :

1. श्री डी0जी0के0 शर्मा, प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड।
2. श्री जे0एस0 सुहाग, मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड।
3. श्री विनीत पांगती, अपर प्रमुख वन संरक्षक, अनुसन्धान प्रशिक्षण एवं प्रबन्धन।
4. श्री समीर सिन्हा, अपर प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाएं, उत्तराखण्ड।
5. श्री एस0पी0 तिवारी, उप सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
6. श्री दिनेश वर्मा, संयुक्त निदेशक, प्रतिनिधि–अपर सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
7. सुश्री महिमा, संयुक्त सचिव–कृषि, प्रतिनिधि–अपर सचिव, कृषि, उत्तराखण्ड शासन।
8. श्री मनोज कुमार तिवारी, डी0पी0आर0ओ0, प्रतिनिधि–अपर सचिव–पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन।
9. श्री जे0सी0 जोशी, वित्त नियंत्रक, वन विभाग।
10. श्री एस0टी0एस0 लेप्चा, जनजाति मामलों के विशेषज्ञ/जनजाति समुदाय के प्रतिनिधि।
11. श्री संतोष रावत, प्रतिनिधि उज्जवला, गैर सरकारी संगठन, कोटद्वार।
12. श्री जे0एस0 सुहाग, अपर प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा एवं सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा।

सर्वप्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य–सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कार्यकारी समिति की पंचम बैठक की एजेण्डावार कार्यवाही निम्नप्रकार प्रारम्भ की गई :–

कार्यसूची कार्यकारी समिति 5.1:

दिनांक 23.09.2020 को सम्पन्न हुई चतुर्थ कार्यकारी समिति की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि एवं अनुपालन:

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा दिनांक 23.09.2020 को आयोजित कार्यकारी समिति की चतुर्थ बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार लिए गये निर्णयों की बिन्दुवार अनुपालन

Scanned with CamScanner

आख्या समिति के सदस्यगणों के समक्ष प्रस्तुत की गई। समिति द्वारा कार्यवृत्त का अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्यसूची कार्यकारी समिति 5.2: वित्तीय वर्ष 2020–21 की स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना के सापेक्ष उपलब्धि :–

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य–सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा सदस्यगणों को अवगत कराया गया कि भारत सरकार को संचालन समिति द्वारा कुल अनुमोदित ₹22856.00 लाख की वार्षिक कार्ययोजना को अन्तिम अनुमोदन हेतु राष्ट्रीय कैम्पा, भारत सरकार को प्रेषित किया गया था। भारत सरकार द्वारा इसके सापेक्ष वर्ष 2020–21 की वार्षिक कार्ययोजना कुल ₹22509.00 लाख हेतु स्वीकृत की गई है, जिसमें भारत सरकार द्वारा निम्नानुसार गतिविधियों को अनुमन्य नहीं किया गया है :–

- वन्यजीव पशु चिकित्सा एवं चिकित्सालय का निर्माण (देहरादून)
- कुम्भ मेले के दौरान मानव वन्यजीव संघर्ष रोकथाम हेतु वाहन किराये पर लेना
- ट्रेनिंग सेंटर का सुदृढ़ीकरण
- अनुश्रवण एवं मूल्यांकन (आतंरिक)
- लम्बी दूरी की गश्त

उपरोक्त के अतिरिक्त नवगठित कैम्पा के क्रियान्व्यन हेतु भारत सरकार द्वारा अधिसूचित कैम्पा नियमावली, 2018 में एन0पी0वी0 के अंतर्गत प्रतिबन्धित गतिविधियों के सम्बन्ध में भी समिति को अवगत कराया गया।

वार्षिक कार्ययोजना 2020–21 की स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष क्रियान्वयन अभिकरणों को वर्तमान तक अवमुक्त धनराशि व उसके विरूद्ध व्यय की प्रगति भी समिति के सम्मुख प्रस्तुत की गई, जिसका घटकवार विवरण निम्नानुसार है:–

विवरण	क्षतिपूरक वनीकरण	कैट प्लान	एन0पी0वी0	अन्य	अर्जित ब्याज	कुल योग
स्वीकृत कार्ययोजना	5575.00	3000.00	11616.00	1443.00	875.00	22509.00
अवमुक्त धनराशि	5017.50	2978.00	9611.04	1111.78	242.38	18960.69
व्यय धनराशि	3198.64	2194.37	6479.96	696.97	7.68	12577.62
अवमुक्त के सापेक्ष व्यय %	64	74	67	62	3	66

सदस्यगणों को अवगत कराया गया कि उपरोक्त स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना में नमामि गंगे परियोजना हेतु ₹ 2000 लाख की धनराशि प्राविधानित है, उनके स्तर से मांग प्राप्त न होने के कारण यह धनराशि उन्हें अवमुक्त नहीं की गई है।

क्रियान्वयन अभिकरणों को अवमुक्त धनराशि में अग्रिम मृदा कार्य एवं अनुरक्षण सम्बन्धी धनराशि सम्मिलित है, जिसमें माह जनवरी से मह मार्च तक कार्य किया जाता है, अतः इन कार्यों को 31 मार्च, 2021 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है। सदस्यगणों के सम्मुख स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का विवरण प्रस्तुत किया गया। अवमुक्त के सापेक्ष वर्तमान तक 66 प्रतिशत के व्यय की प्रगति पर समिति द्वारा संतोष व्यक्त किया गया।

कार्यसूची कार्यकारी समिति 5.3: वित्तीय वर्ष 2020-21 की अनुपूरक वार्षिक कार्ययोजना

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य-सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा उपस्थित सदस्यगणों को अवगत कराया गया कि वर्ष 2020-21 हेतु उत्तराखण्ड कैम्पा, संचालन समिति की दिनांक 12 अक्टूबर, 2020 को सम्पन्न चतुर्थ बैठक में प्रदत्त स्वीकृति के उपरान्त कुल ₹ 26249.09 लाख की अनुपूरक वार्षिक कार्ययोजना भारत सरकार को प्रेषित की गई थी। राष्ट्रीय प्राधिकरण, कैम्पा, भारत सरकार की कार्यकारी समिति की दिनांक 03 फरवरी, 2021 को सम्पन्न दसवीं बैठक में उक्त सापेक्ष ₹ 12855.00 लाख की अनुपूरक कार्ययोजना को स्वीकृति प्रदान की गई। समिति उपरोक्त से अवगत हुई।

कार्यसूची कार्यकारी समिति 5.4: वित्तीय वर्ष 2021-22 की प्रस्तावित वार्षिक कार्ययोजना का अनुमोदन :-

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य-सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि वर्ष 2021-22 हेतु राष्ट्रीय कैम्पा प्राधिकरण एवं मा0 एन0जी0टी0 में योजित विभिन्न मूल आवेदनों के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में नदियों के पुनर्जनन/उपचार एवं इन क्षेत्रों में वनीकरण सम्बन्धी कार्यों एवं वन एवं वन्यजीवों की सुरक्षा को और सुदृढ़ किए जाने के सम्बन्ध में उच्च स्तरों से प्राप्त निर्देशों के क्रम में, कैम्पा के मानकों अनुसार समुचित धनराशि का प्राविधान करते हुए वर्ष 2021-22 की वार्षिक कार्ययोजना तैयार की गई है। उक्त को सम्मिलित करते हुए ऑनलाइन माध्यम से जोनल स्तर की स्वीकृति से प्राप्त प्रस्तावों सहित कुल ₹ 95080.90 लाख की धनराशि की वार्षिक कार्ययोजना को कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रस्तावित कार्ययोजना का घटकवार विवरण निम्नानुसार है:-

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

S. No.	CAF Act / Rule	Component / Activity	Unit	Proposed	
				Physical Target	Financial Target
1	2	3	4	5	6
6	Rule 6(b)(i)	Management of Office establishment of State Authority (printing & stationary, postage & telephone expenses including internet, office maintenance expenses, hospitality expenses etc.)	LS	LS	100.00
7	Rule 6(b)(ii)	Purchase of Office Equipment including Computers and Peripherals & Maintenance for State Authority	LS	LS	100.00
8	Rule 6(b)(iii)	Hiring of Vehicles/Staff Cars, fuel and maintenance for State Authority	LS	LS	50.00
9	Rule 6(b)(vi)	Purchase of Vehicles for forest & wildlife protection/management (Motorbikes)	No.	100	100.00
		Sub-Total (40%)			350.00
		Total (Interest Component)			2950.00
		GRAND TOTAL (APO 2021-22)			95080.90

समिति द्वारा उपरोक्त पर विचार–विमर्श उपरान्त वर्ष 2021–22 हेतु उक्तानुसार कुल ₹ 95080.90 लाख की वार्षिक कार्ययोजना संचालन समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

<u>कार्यसूची कार्यकारी समिति 5.5 अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से</u> :–

- बैठक में सदस्यों द्वारा कैम्पा के अंतर्गत सम्पादित कार्यों की आन्तरिक एवं तृतीय पक्ष मूल्यांकन के सम्बन्ध में पृच्छा/चर्चा की गई, जिस पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि कैम्पा के अंतर्गत सम्पादित कार्यों का मूल्यांकन प्रभागों के सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी (वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक) के माध्यम से विभागीय

वचनबद्ध गतिविधियां			एन0पी0वी0	अर्जित ब्याज	कुल योग (लाख में)
क्षतिपूरक वनीकरण	अन्य विशिष्ट कार्य	कैट प्लान			
8346.53	2515.44	10959.85	70309.08	2950.00	95080.90

समिति के समक्ष वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत सम्मिलित गतिविधियों का निम्नानुसार विवरण प्रस्तुत किया गयाः–

Amount in Lakh Rs.

S. No.	CAF Act / Rule	Component / Activity	Unit	Proposed	
				Physical Target	Financial Target
1	2	3	4	5	6
SITE SPECIFIC ACTIVITIES					
A	Compensatory Afforestation				
1	As per Section 6(a) of CAF Act 2016	Advance Soil Works	ha	6000	5158.85
2		Plantation	ha	3000	1090.00
3		Plantation Maintenance	ha	10645	1313.59
4		Nursery Maintenance	No of plants	6188549	247.25
5		Nursery Raising/updradation	No of plants	5372838	536.84
	Sub-Total	SUB TOTAL			8346.53
B	Catchment Area Treatment (CAT) Plan				
1	As per Section 6(a) of CAF Act 2016	Tapovan Vishnugad HEP	As per approved Catchment Area Treatment (CAT) Plan		1078.96
2		Lata Tapovan HEP			707.23
3		Singoli Bhatwari HEP			583.50
4		Phatta Byung HEP			418.47
5		Srinagar HEP			233.28
6		Lakhwar HEP			2975.69
7		Vishungad Pipalkoti HEP			1658.65
8		Vyasi HEP			600.87
9		Mori Naitwar HEP			661.11
10		Jamrani HEP			621.15
11		Khutani HEP			420.94
12		New CAT Plans			1000.00

आदेशों/निर्देशों के अनुसार नियमित रूप से किया जा रहा है। साथ ही वनीकरण सम्बन्धी गतिविधियों का मूल्यांकन कार्य विभाग की मूल्यांकन एवं अनुश्रवण इकाई द्वारा भी नियमित रूप से किया जा रहा है। कैम्पा के अंतर्गत भी कार्यों की एम0आई0एस0 एवं ई–ग्रीन वॉच के माध्यम से समानान्तर ऑनलाइन मॉनीटरिंग की जा रही है।

विभाग के अतिरिक्त कैम्पा कार्यों की वाह्य संस्था–भारतीय वन अनुसन्धान संस्थान, देहरादून के माध्यम से भी अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य सम्पादित किया जा रहा है। समिति के समक्ष वन अनुसन्धान संस्थान द्वारा विगत वर्षों की मूल्यांकन रिपोर्टों को भी प्रस्तुत किया गया। इसके अतिरिक्त वित्तीय अनुश्रवण हेतु महालेखाकार, ऑडिट कार्यालय, देहरादून द्वारा कैम्पा गठन से वित्तीय वर्ष 2016–17 तक के लेखों का ऑडिट एवं बैलेन्सशीट ऑडिट/सत्यापन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। महालेखाकार, उत्तराखण्ड से प्राप्त ऑडिट रिपोर्ट को राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किए जाने हेतु उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित किया जा चुका है। समिति उपरोक्त से अवगत हुई।

- अध्यक्ष–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा निर्देश दिए गये कि कैम्पा के अंतर्गत स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना के सापेक्ष अवशेष रह गये कार्यों को गुणवत्ता एवं समयबद्धता के आधार पर दिनांक 31 मार्च, 2021 तक पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही उनके द्वारा वर्ष 2020–21 हेतु अनुपूरक वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत स्वीकृत गतिविधियों को पूर्ण प्रयास के साथ मानकों के अनुरूप समयान्तर्गत पूर्ण किए जाने हेतु निर्देश दिये गये।

अन्त में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा अध्यक्ष–कार्यकारी समिति एवं समस्त उपस्थित सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की समाप्ति की गई।

(जे0 एस0 सुहाग)
अपर प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य सचिव–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा

(राजीव भरतरी) 24/2/21
प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

सर्वप्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य–सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से संचालन समिति की पंचम बैठक की एजेण्डावार कार्यवाही निम्नप्रकार प्रारम्भ की गई :–

कार्यसूची संचालन समिति 5.1:

दिनांक 12.10.2020 को सम्पन्न हुई चतुर्थ संचालन समिति की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि एवं अनुपालन:

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा दिनांक 12.10.2020 को आयोजित संचालन समिति की चतुर्थ बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार लिए गये निर्णयों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या समिति के सदस्यगणों के समक्ष प्रस्तुत की गई। समिति द्वारा कार्यवृत्त का अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्यसूची संचालन समिति 5.2: वित्तीय वर्ष 2020–21 की स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना के सापेक्ष उपलब्धि :–

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य–सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा सदस्यगणों को अवगत कराया गया कि भारत सरकार को संचालन समिति द्वारा कुल अनुमोदित ₹22856.00 लाख की वार्षिक कार्ययोजना को अन्तिम अनुमोदन हेतु राष्ट्रीय कैम्पा, भारत सरकार को प्रेषित किया गया था। भारत सरकार द्वारा इसके सापेक्ष वर्ष 2020–21 की वार्षिक कार्ययोजना कुल ₹22509.00 लाख हेतु स्वीकृत की गई है, जिसमें भारत सरकार द्वारा निम्नानुसार गतिविधियों को अनुमन्य नहीं किया गया है :–

- वन्यजीव पशु चिकित्सा एवं चिकित्सालय का निर्माण (देहरादून)
- कुम्भ मेले के दौरान मानव वन्यजीव संघर्ष रोकथाम हेतु वाहन किराये पर लेना
- ट्रेनिंग सेंटर का सुदृढ़ीकरण
- अनुश्रवण एवं मूल्यांकन (आतंरिक)
- लम्बी दूरी की गश्त

5.2.1 वर्ष 2020–21 के अंतर्गत सम्पादित कार्य/भौतिक उपलब्धि –मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य–सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा वर्ष 2020–21 की वित्तीय प्रगति से पूर्व वर्ष 2020–21 में स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत कैम्पा में सम्पादित अभिनव कार्यों का प्रस्तुतीकरण किया गया, जिसमें मुख्यतः निम्न कार्यों पर समिति द्वारा विचार–विमर्श उपरान्त निर्देश/अभिमत दिए गये :–

- **प्रदेश के अंतर्गत विलुप्त हो रही गौरेया का संरक्षण** – मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कैम्पा द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि वर्ष 2020–21 की अनुपूरक कार्ययोजना के अंतर्गत मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा के निर्देशानुसार प्रदेश में गौरेया के संरक्षण हेतु गौरेया आश्रय स्थल की स्थापना हेतु कैम्पा में रु0 5.00 करोड़ की धनराशि के प्राविधान हेतु प्रस्ताव भारत सरकार के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया था। भारत सरकार द्वारा इसे वृहद/प्रदेश स्तर पर क्रियान्वयन से पूर्व इसकी बी0एन0एच0एस0, मुम्बई के सहयोग से अध्ययन कराए जाने हेतु रु0 42.50 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है। उक्त के क्रम में गौरेया संरक्षण हेतु भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून के माध्यम से बी0एन0एच0एस0, मुम्बई व वन विभाग, उत्तराखण्ड के संहित कॉलेबोरिटिव प्रोजेक्ट के सापेक्ष भारतीय वन्य जीव संस्थान को धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

मुख्य सचिव महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि प्रदेश में अधिकांशतः गौरेया विलुप्त उन स्थानों पर हुई है, जहां पर सम्भवतः इलेक्ट्रोमैगनेटिक किरणें/मोबाईल टावर्स प्रचुर मात्रा में स्थापित किए गये हैं। दूरस्थ क्षेत्रों, जहां पर मोबाईल टावर्स कम हैं, वहां पर गौरेया के सुरक्षित रहने की सम्भावना अधिक है। मुख्य सचिव द्वारा गौरेया संरक्षण हेतु प्रदेश में ऐसे स्थानों के चयन किए जाने के निर्देश दिए गये जहां प्रवासी/खण्डहर ग्रामों एवं होम स्टे ज्यादा हों। मुख्य सचिव महोदय द्वारा उक्त कोलेबोरिटिव प्रोजेक्ट की रिपोर्ट के सम्बन्ध में निर्देश दिए गये कि 3 माह में इसकी अन्तरित रिपोर्ट एवं 6 माह के अंतर्गत पूर्ण/विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

- ग्रासलैण्ड/लैन्टाना उन्मूलन – मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को रोकने/कम किए जाने के उद्देश्य से लैन्टाना उन्मूलन उपरान्त कैम्पा निधि से तैयार किए गये विभिन्न ग्रासलैण्ड/चौड़ों का भी प्रस्तुतीकरण किया गया। इसमें कॉर्बेट टाईगर रिजर्व द्वारा घनी झाड़ियों की सफाई से लेकर ग्रासलैण्ड तैयार किए जाने तक की समस्त प्रक्रियाओं जैसे–Removal of Lantana, Preparing seed ball, broadcasting of seed balls in grass land, plantation of grass tufts, dried grass cutting strategy के प्रस्तुतीकरण के साथ अन्त में इन क्षेत्रों में प्राप्त परिणाम जैसे–ढिकाला ग्रासलैण्ड, लालढांग ग्रासलैण्ड व कोठीरॉ ग्रासलैण्ड को फोटोग्राफी के माध्यम से समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा इस सम्बन्ध में सदस्यों को यह भी अवगत कराया गया कि लैन्टाना उन्मूलन के

Scanned with CamScanner

श्री ओम प्रकाश, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन एवं अध्यक्ष–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा की अध्यक्षता में दि0 05.04.2021 को मुख्य सचिव सभागार में आयोजित उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा) की संचालन समिति की पंचम बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति सदस्यों/प्रतिनिधियों का विवरण :

1. श्री आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
2. श्री भूपेश तिवारी, अपर सचिव, प्रतिनिधि–प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
3. श्री जी0पी0 पंत, तकनीकी विशेषज्ञ, प्रतिनिधि–प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
4. श्री उदय राज सिंह, अपर सचिव, प्रतिनिधि–प्रमुख सचिव/सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
5. श्री उमेश नारायण पाण्डेय, अपर सचिव, प्रतिनिधि–प्रमुख सचिव/सचिव, कृषि, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
6. श्री सुरेश चन्द्र जोशी, अपर सचिव, प्रतिनिधि–प्रमुख सचिव/सचिव, जनजाति विकास, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
7. श्री मनोज कुमार तिवारी, डी0पी0आर0ओ0, प्रतिनिधि–प्रमुख सचिव/सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
8. श्री कवीन्द्र सिंह, संयुक्त सचिव, प्रतिनिधि–प्रमुख सचिव/सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
9. श्री राजीव भरतरी, प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) उत्तराखण्ड एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
10. श्री जे0एस0 सुहाग, मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
11. श्री एस0टी0एस0 लेप्चा, जनजाति मामलों के विशेषज्ञ/जनजाति समुदाय के प्रतिनिधि एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
12. श्री जे0एस0 सुहाग, अपर प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा एवं सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा।

Scanned with CamScanner

उत्तराखंड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखंड कैम्पा)
(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38) की धारा 10(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)
वन मुख्यालय, 85–राजपुर रोड, देहरादून टेलीफैक्स : 0135–2744077 ई–मेल: ceocampa-forest-uk@nic.in /ceoukcampa@gmail.com
web site- www.ukcampa.org.in

पत्रांक– 937 /का0स0 (5) दिनांक, देहरादून, फरवरी 24, 2021

प्रतिलिपि :– कार्यकारी समिति के निम्न मा0 सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी–वन संरक्षण, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
2. मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक, अनुसन्धान, प्रशिक्षण एवं प्रबन्धन, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
4. नोडल अधिकारी, राज्य वन विकास अभिकरण (अपर प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाऐं) एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
5. अपर सचिव–वन एवं पर्यावरण/वित्त/नियोजन/ग्राम्य विकास/राजस्व/कृषि/जनजाति विकास/पंचायती राज/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
6. वित्त नियंत्रक, वन विभाग एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
7. श्री एस0टी0एस0 लेप्चा, सदस्य–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
8. प्रतिनिधि–हिमालयन एक्शन रिसर्च सेन्टर, देहरादून, गैर सरकारी संगठन एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
9. प्रतिनिधि–उज्जवला, कोटद्वार मालिनी मार्केट, कोटद्वार, गैर सरकारी संगठन एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।

24/2/21
(जे.एस. सुहाग)
अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखंड कैम्पा।

पत्रांक– 937 (1)/ का0स0(5) उक्त दिनांकित।
प्रतिलिपिः प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

24/2/21
(जे.एस. सुहाग)
अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखंड कैम्पा।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

उपरान्त इन क्षेत्रों में वास्तविक रूप से मानव वन्यजीव संघर्ष में कमी देखी गई है। प्रमुख वन संरक्षक एवं अध्यक्ष–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि इन क्षेत्रों में हुए कार्यों की तैयार वीडियोग्राफी को यू–टयूब के माध्यम से सोशल मीडिया पर राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रचारित किया जा रहा है, जिसे सराहा गया है।

- रेडियो कॉलरिंग एवं कैमरा ट्रैपिंग – मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा मानव वन्यजीव घटनाओं को न्यून करने व वन्यजीवों की ट्रैकिंग किए जाने के दृष्टिगत वर्तमान में कैम्पा निधि के अंतर्गत 4 हाथियों को सुरक्षित रूप से किए गये रेडियो कॉलरिंग की फोटोग्राफी भी समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई। इसके अतिरिक्त राजाजी टाईगर रिजर्व में वन्य जीवों हेतु बनाए गये वाटर हॉल्स के आसपास आने वाले विभिन्न गुलदारों को विभिन्न कैमरा ट्रैपों के माध्यम से प्राप्त उनके निरन्तर मूवमेन्ट की स्थिति को सेटेलाईट ग्राफिक्स के माध्यम से समिति के समक्ष रखा गया।

- रेस्क्यू सेण्टर एवं चौकी/वॉच टावर निर्माण – प्रदेश में कैम्पा निधि से कॉर्बेट टाईगर रिजर्व के अंतर्गत बनाए जा रहे रेस्क्यू सैण्टर, बाघ/गुलदार बाड़ा के फोटोग्राफ्स को भी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा इन कार्यों को सराहा गया एवं मुख्य सचिव महोदय द्वारा प्रदेश में अन्य चिन्हित स्थानों पर भी रेस्क्यू सैण्टर्स इसी आधार पर उच्च गुणवत्ता के साथ निर्माण किए जाने हेतु निर्देशित किया गया।

- मानव वन्यजीव संघर्ष रोकथाम – बंदर बंध्याकरण – राज्य में बन्दर जनित समस्या के निवारण के दृष्टिगत मानव वन्यजीव संघर्श की रोकथाम हेतु उत्पाती बन्दरों को पकड़ने, उनका बन्ध्याकरण करने, बन्दरबाड़ा निर्माण आदि कार्यों हेतु वार्शिक कार्ययोजना 2020–21 के अंतर्गत रु0 205.00 लाख की धनराशि एवं अनुपूरक वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत रु0 800 लाख (रु0 600 लाख वानर रेस्क्यू सेण्टर हेतु एवं रु0 200 लाख पिंजरे क्रय, बन्दर पकड़ने छोड़ने इत्यादि) की धनराशि से बन्दर बन्ध्याकरण एवं रेस्क्यू सेण्टरों की स्थापना (हरिद्वार वन प्रभाग, तराई पूर्वी वन प्रभाग, केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग एवं सिविल सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा के अंतर्गत) एवं स्थापित रेस्क्यू सेंन्टरों के रखरखाव के कार्य सम्पादित किए गये/जा रहे हैं।

की अनुपूरक कार्ययोजना के सापेक्ष अवशेष गतिविधियों हेतु में ₹ 34.39 करोड़ को सम्मिलित करते हुए) की धनराशि प्रस्तावित।

- ❑ वन रक्षक चौकियों एवं रेंज आवास हेतु ₹ 49.30 करोड़ की धनराशि (वर्ष 2021–22 की अनुपूरक कार्ययोजना के सापेक्ष अवशेष गतिविधियों हेतु में ₹ 4.62 करोड़ को सम्मिलित करते हुए) प्रस्तावित, वन मार्गों के मरम्मत हेतु ₹ 34.86 करोड़ की धनराशि प्राविधानित
- ❑ वन पंचायतों के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों हेतु ₹ 90.74 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित, जिसमें 3.78 करोड़ की धनराशि पंचायती वनों में वनाग्नि सुरक्षा हेतु प्रस्तावित।

कैम्पा निधि पर अर्जित ब्याज के अंतर्गत प्राविधान

- ❑ कैम्पा के अंतर्गत अर्जित ब्याज से कैम्पा प्रबन्धन व्यय, क्षतिपूरक वनीकरण एवं कैट प्लान में बढ़ी हुई दरों की प्रतिपूर्ति एवं एन0पी0वी0 के अंतर्गत वानिकी सम्बन्धी गतिविधियों हेतु ₹ 29.50 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित।

उपरोक्त गतिविधियों को सम्मिलित करते हुए समिति के समक्ष वर्ष 2021–22 की प्रस्तावित कार्ययोजना का गतिविधिवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों सहित विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया:–

UTTARAKHAND CAMPA - APO 2021-22

Amount in Lakh Rs.

S. No.	CAF Act / Rule	Component / Activity	Unit	Proposed	
				Physical Target	Financial Target
1	2	3	4	5	6
SITE SPECIFIC ACTIVITIES					
A	Compensatory Afforestation				
1	As per Section 6(a) of CAF Act 2016	Advance Soil Works	Ha	6000	5158.85
2		Plantation	Ha	3000	1090.00
3		Plantation Maintenance	Ha	10645	1313.59
4		Nursery Maintenance	No of plants	6188549	247.25
5		Nursery Raising/updradation	No of plants	5372838	536.84
	Sub-Total	SUB TOTAL			8346.53
B	Catchment Area Treatment (CAT) Plan				
1	As per Section 6(a) of CAF Act 2016	Tapovan Vishnugad HEP	As per approved Catchment Area Treatment (CAT) Plan		1078.96
2		Lata Tapovan HEP			707.23
3		Singoli Bhatwari HEP			583.50

Scanned with CamScanner

Amount in Lakh Rs.					
S. No.	CAF Act / Rule	Component / Activity	Unit	Proposed	
				Physical Target	Financial Target
1	2	3	4.	5	6
8	Rule 6(b)(iii)	Hiring of Vehicles/Staff Cars, fuel and maintenance for State Authority	LS	LS	50.00
9	Rule 6(b)(vi)	Purchase of Vehicles for forest & wildlife protection/management (Motorbikes)	No.	100	100.00
		Sub-Total (40%)			350.00
		Total (Interest Component)			2950.00
		GRAND TOTAL (APO 2021-22)			**95080.90**

** Indicates the balances of Addl APO 2020-21 of Rs 262 Cr which was approved by SC but against which only Rs 128.55 Cr was approved by GoI . Same has been included in the APO 2021-22.

क्षतिपूरक वृक्षारोपण के संबंध में प्रमुख सचिव, वन द्वारा निर्देश दिये गये कि यह कैम्पा का महत्वपूर्ण कार्य है। इसकी मॉनिटरिंग भारत सरकार एवं मा0 सर्वोच्च न्यायालय के स्तर से भी की जा रही है, अतः इसके लक्ष्यों को मानकों के अनुरूप समयांतर्गत पूर्ण किया जाए। मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि क्षतिपूरक वनीकरण के लक्ष्यों को पूर्ण करने में हो रही कठिनाई का मुख्य कारण पूर्व में हस्तांरित वन भूमि के सापेक्ष किये जाने वाले क्षतिपूरक वनीकरण के संबंध में कतिपय मामलों में वृक्षारोपण हेतु चिन्हित भूमि का ढंगारी/पथरीला होना, उपयुक्त न पाया जाना, आपदा के कारण भूमि का क्षतिग्रस्त /क्षरण होना आदि के कारण उपलब्ध न होना है। ऐसे प्रकरणों के संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि भारत सरकार से इस संबंध में लिये गये परामर्श अनुसार इस प्रकार के प्रकरणों हेतु पृथक रो लैंड बैंक बनाया जा सकता है। समिति उपरोक्त से अवगत हुई।

प्रमुख सचिव, वन द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि भारत सरकार द्वारा राज्य को हस्तांतरित राज्यांश के विभिन्न घटकों यथा सी0ए0, एन0पी0वी0, कैट प्लान आदि की अधिकतम सीमा के अंतर्गत ही वार्षिक कार्ययोजना के घटकवार धनराशि प्रस्तावित / प्राविधानित की जाए किसी भी दशा में एक घटक की धनराशि का उपयोग अन्य घटकों में न किया जाए।

समिति द्वारा उपरोक्त पर विचार–विमर्श उपरान्त वर्ष 2021–22 हेतु उक्तानुसार कुल ₹ 95080.90 लाख की वार्षिक कार्ययोजना को राष्ट्रीय प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

कार्यसूची संचालन समिति 5.4 उत्तराखण्ड कैपा की वर्ष 2019–20 की बैलेंस शीट, वार्षिक रिपोर्ट का अनुमोदन

उत्तराखण्ड कैम्पा की वर्ष 2019–20 की बैलेंस शीट आयकर अधिनियम 1961 के तहत सनदी लेखाकार से ऑडिट कराकर, उत्तराखण्ड कैम्पा की आयकर विवरणी (Income Tax Return) जमा की गई है। महालेखाकार, ऑडिट कार्यालय, देहरादून द्वारा उत्तराखण्ड कैम्पा का वर्ष 2010–11 से 2016–17 तक के लेखों का ऑडिट एवं बैलेन्सशीट ऑडिट/सत्यापन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। महालेखाकार, उत्तराखण्ड से प्राप्त ऑडिट रिपोर्ट को राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किए जाने हेतु उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित किया जा चुका है। समिति उपरोक्त से अवगत हुई एवं 2019–20 की बैलेंस शीट को अध्यक्ष संचालन समिति द्वारा हस्ताक्षर करते हुए बैलेंस शीट एवं वार्षिक रिपोर्ट का अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्त में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा अध्यक्ष–संचालन समिति एवं समस्त उपस्थित सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की समाप्ति की गई।

(जे0 एस0 सुहाग)
अपर प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य सचिव–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा

(ओम प्रकाश)
मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन एवं अध्यक्ष–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

उत्तराखंड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखंड कैम्पा)
(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38) की धारा 10(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)
वन मुख्यालय, 85–राजपुर रोड, देहरादून टेलीफैक्स : 0135–2744077 ई–मेल: ceocampa-forest-uk@nic.in /ceoukcampa@gmail.com
web site- www.ukcampa.org.in

पत्रांक– 06 /संचा०स०(5) दिनांक, देहरादून, 08 अप्रैल, 2021

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
2. प्रमुख सचिव/सचिव–वित्त, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा ।
3. प्रमुख सचिव/सचिव–नियोजन, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा
4. प्रमुख सचिव/सचिव–ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा ।
5. प्रमुख सचिव/सचिव–राजस्व, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा ।
6. प्रमुख सचिव/सचिव–कृषि, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा ।
7. प्रमुख सचिव/सचिव–जनजाति, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
8. प्रमुख सचिव/सचिव–पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा ।
9. प्रमुख सचिव/सचिव–विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा ।
10. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
11. मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
12. प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी–वन संरक्षण, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
13. अपर प्रमुख वन संरक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, भारत सरकार, 25–सुभाष रोड, देहरादून एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
14. नोडल अधिकारी, राज्य वन विकास अभिकरण (अपर प्रमुख वन संरक्षक–परियोजनाएं) एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
15. श्री एस०टी०एस० लेप्चा, जनजाति मामलों के विशेषज्ञ/जनजाति समुदाय के प्रतिनिधि एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।

(जे.एस. सुहाग)
अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखंड कैम्पा।

पत्रांक– 06 (1)/संचा०स०(5), उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि :– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा के संज्ञानार्थ सादर सूचनार्थ।

(जे.एस. सुहाग)
अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखंड कैम्पा।

Annexure - 5

उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण

(उत्तराखण्ड कैम्पा)

(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38) की धारा 10(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)

वन भवन, 85 राजपुर रोड़, देहरादून, दूरभाष/फैक्स : 0135-2744077

Email: ceocampa-forest-uk@nic.in, website : www.ukcampa.org.in

पत्रांक– 475/7-1(4) / दिनांक 21 सितम्बर, 2021

सेवा में,

समस्त संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी/उप निदेशक,
(संलग्न सूची अनुसार)
उत्तराखण्ड।

विषयः– वर्ष 2021–22 की वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत क्षतिपूरक–अग्रिम मृदा कार्य के लक्ष्यों के आंवटन के संबंधन में।

महोदया/महोदय,

विदित है कि क्षतिपूरक वनीकरण कैम्पा की महत्वपूर्ण स्थल विशिष्ट योजना है जिसके अंतर्गत वन भूमि हस्तांतरण के विभिन्न मामलों में निर्धारित किये गये लक्ष्यों को समयबद्ध प्रकार से पूर्ण किया जाना अनिवार्य है। उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा दिसम्बर, 2019 में मा0 उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये शपत पत्र में राज्य के अवशेष समस्त लक्ष्यों को आगामी 02 वर्षों में पूर्ण किये जाने का वचन दिया गया है। वर्तमान में लगभग 6000 हे0 क्षतिपूरक के लक्ष्य अवशेष (Back Log) हैं जिन्हें वर्ष 2021–22 की वार्षिक कार्ययोजना में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है।

तद्नुसार सभी संबंधित वन प्रभागों में क्षतिपूरक वनीकरण के लक्ष्य, अबतक पूर्ण किये गये लक्ष्य एवं अवशेष लक्ष्यों का विवरण इस आशय के साथ संलग्न का प्रेषित किया जा रहा है (संलग्नक–1) कि अपने प्रभाग के अंतर्गत अवशेष लक्ष्य को पूर्ण किये जाने के दृष्टिगत इस वर्ष के अग्रिम मृदा कार्य के कुल लक्ष्यों की सूचना निम्न प्रारूप पर पत्र जारी होने के 01 सप्ताह के भीतर इस कार्यालय में उपलब्ध कराने के कष्ट करेंगे।

क्र0 सं0	वन भूमि हस्तांतरण प्रकरण का नाम	हस्तांतरण वर्ष	हस्तांतरित वन भूमि (हे0)	क्षतिपूरक वृक्षारोपण का लक्ष्य (हे0)	अब तक पूर्ण किया गया वृक्षारोपण (हे0)	वर्ष 2021–22 हेतु अ0मृ0का0 के अवशेष लक्ष्य (हे0)	धनराशि (लाख रू0)	निर्धारित स्थल का नाम (जहां वृक्षारोपण किया जाना है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

उक्त कार्य को शीघ्र प्राथमिकता पर लिया जाये। कृपया अपूर्ण सूचना न प्रेषित की जाये। क्षतिपूरक वनीकरण के अब तक के सभी अवशेष लक्ष्यों को उपरोक्त सूचना में सम्मिलित किया जाये, प्राप्त सूचना के परीक्षण उपरांत ही संबंधित प्रभागीय वनाधिकारियों को इस मद में धनराशि अवमुक्त की जानी संभव हो पायेगी।

भवदीय,

(जे0एस0 सुहाग)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा।

पत्रांकः–475/7-1(4) तद्दिनांकित

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) एवं अध्यक्ष कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड।
2. प्रमुख वन संरक्षक, (वन्यजीव)/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य वन संरक्षक, गढवाल एवं कुमाऊँ जोन, उत्तराखण्ड।
4. समस्त संबंधित वन संरक्षक/निदेशक उत्तराखण्ड।

(जे0एस0 सुहाग)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा।

Scanned with CamScanner

CA Target for ASW 2021-22 (In ha.)

Division	CA Stipulated	CA Done	Balance CA Proposed in 2021
1	3	4	8
Kumoun Zone			
North Kumoun Circle			
Almora Forest Division	2370.55	1878.51	501.22
Almora CS Division	319.13	231.53	87.60
Bageshwar Forest Division	1820.01	1733.96	86.05
Champawat Forest Division	1115.78	934.09	181.69
Pithoragarh Forest Division	4312.37	3279.86	1068.61
Sub-Total	**9937.85**	**8057.95**	**1925.18**
South Kumoun Circle			
Nainital Forest Division	1342.68	1369.59	45.09
Sub-Total	**1342.68**	**1369.59**	**45.09**
Western Circle			
Tarai Central Forest Division	155.80	186.78	8.90
Tarai East Forest Division	2454.26	1824.64	629.62
Tarai West Forest Division	30.24	17.73	12.51
Ramnagar Forest Division	240.30	216.62	23.68
Haldwani Forest Division	4806.29	4174.58	631.71
Sub-Total	**7686.89**	**6420.35**	**1306.43**
Total Kumoun	**18967.42**	**15847.88**	**3276.70**
Garhwal Zone			
Bhagirathi Circle			
Uttarkashi Forest Division	1921.78	1753.14	279.08
Narendra Nagar Forest Division	1843.38	1664.88	62.68
Tehri Forest Division	5260.19	5188.37	89.62
Sub-Total	**9025.36**	**8606.39**	**431.38**
Garhwal Circle			
Badrinath Forest Division	3188.57	2988.18	253.33
Alaknanda Soil	13.79	13.80	0.00
Rudraprayag Forest Division	3180.75	2809.93	435.76
Civil Soyam Pauri Forest Division	2.97	0.00	2.97
Garhwal Forest Division	2614.41	2121.70	493.71
Sub-Total	**9000.50**	**7933.61**	**1185.77**
Shiwalik Circle			
Dehradun Forest Division	4881.95	4797.40	50.23
Haridwar Forest Division	4847.50	5012.42	175.36
Kalsi soil Forest Division	467.95	303.91	164.04
Lansdown Forest Division	679.42	649.96	29.46
Sub-Total	10876.81	10763.68	419.09
Yamuna Cirle			
Chakrata Forest Division	1299.36	1225.92	73.44
Mussoorie Forest Division	1586.97	1509.05	77.92
Tons Forest Division	448.04	420.70	27.34
Upper Yamuna Forest Division	468.29	451.75	16.63
Sub-Total	**3802.66**	**3607.43**	**195.32**
Total Garhwal Zone	**32705.33**	**30911.12**	**2231.57**

Scanned with CamScanner

Division	CA Stipulated	CA Done	Balance CA Proposed In 2021
1	3	4	8
Wildlife Zone			
Kedarnath Wildlife Division	1559.31	1231.75	327.56
Nanda Devi National Park	1671.44	1568.99	102.45
Total Wildlife Zone	**3230.75**	**2800.73**	**430.01**
ALL Total	**54903.50**	**49559.73**	**5938.28**

Scanned with CamScanner

Annexure - 6

(24)

E-Mail:- dfo_badrinath_uta@yahoo.co.in, Phone/Fax No :- 01372-252175

।। कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ।।

पत्रांक 1684 /11-6/7-1(4) दिनांक, गोपेश्वर, अक्टूबर 27/ 2021

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड, कैम्पा,
85–राजपुर रोड़, देहरादून।

विषय:– वर्ष 2021–22 की वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत क्षतिपूरक–अग्रिम मृदा कार्य के लक्ष्यों के आवंटन के संबंध में।

संदर्भ:– आपकी पत्र संख्या–475/7–1(4), दिनांक 21–09–2021 एवं पत्र संख्या–537/7–1(4) दिनांक 05–10–2021.

महोदय,

आपके उपरोक्त संदर्भित पत्रों से वर्ष 2021–22 की वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत क्षतिपूरक–अग्रिम मृदा कार्य के लक्ष्यों के आवंटन हेतु आप द्वारा प्रेषित संलग्नक के अनुसार इस वन प्रभाग हेतु अवशेष 253.33 है0 क्षतिपूरक लक्ष्य को पूर्ण किए जाने हेतु निर्धारित प्रारूप में प्रस्तावित लक्ष्यों की सूचना चाही गई है। आप द्वारा प्रेषित सूचना जिसमें इस वन प्रभाग के अंतर्गत वर्तमान में 253.33 हैक्टेयर क्षतिपूरक किया जाना अवशेष अंकित किया गया है के संबंध में अवगत करना है कि सूची में अंकित कतिपय क्षेत्रों में वर्ष 2021–22 तक वृक्षारोपण किया जा चुका है तथा कतिपय क्षेत्रों में वर्तमान तक म्यूटेशन नहीं हुआ है।

अतः अवशेष लक्ष्यों के सापेक्ष वर्ष 2021–22 में अग्रिम मृदा कार्य हेतु प्रभाग द्वारा प्रस्तावित लक्ष्यों का विवरण आप द्वारा संलग्न प्रारूप में इस अनुरोध के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है कि प्रभाग को वर्ष 2021–22 में क्षतिपूरक–अग्रिम मृदा कार्य मद के अंतर्गत तद्नुसार लक्ष्य आवंटित करने की कृपा करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)
(आशुतोष सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांक 1684 /11-6/7-1(4)/उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपिः– वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी को उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचना की प्रति सहित सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(हस्ताक्षर)
(आशुतोष सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांक / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषितः–

1. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

o/c

(हस्ताक्षर)
(आशुतोष सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

वर्ष 2021–22 की वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत क्षतिपूरक–अग्रिम मृदा कार्य के लक्ष्यों का विवरण, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

क्र0 सं0	वन भूमि हस्तांतरण प्रकरण	हस्तांतरण वर्ष	हस्तांतरित वन भूमि (है0)	क्षतिपूरक वृक्षारोपण का लक्ष्य (है0 में)	अब तक किया गया वृक्षारोपण (है0 में)	वर्ष 2021–22 हेतु अ0मृ0का0 के अवशेष लक्ष्य (है0)	धनराशि (लाख में)	निर्धारित स्थल का नाम (जहां वृक्षारोपण किया जाना है)		अभ्युक्ति
								स्थल	हैक्टेयर	
1	पगना झूला पुल	2008	0.84000	1.68000	1.50000	0.18000	0.17753	अगथला वन पंचायत	0.18000	चमोली
2	आगतोली मजेठा कोठा मोटर मार्ग	2008	4.05000	10.70000	10.50000	0.20000	0.19725	कुंजाकोट– I, क0नं0–13	0.20000	नदप्रयाग
3	रैंतोली नरगोली कम्यार मोटर मार्ग	2009	1.80000	3.60000	3.50000	0.10000	0.09863	अगथला वन पंचायत	0.10000	चमोली
4	भिरतोली पेयजल योजना	2009	0.27800	0.56000	0.50000	0.06000	0.05918	भैंटी वन पंचायत	0.06000	नदप्रयाग
5	कोटी बैण्ड से घतोड़ा देवीधार मोटर मार्ग	2010	0.54000	1.08000	1.00000	0.08000	0.07890	घतोड़ा सिविल	0.08000	पश्चिमी पिण्डर
6	देवाल खेता मोटर मार्ग	2006	3.59000	7.18000	7.17000	0.01000	0.00986	खेता सिविल	0.01000	पूर्वी पिण्डर
7	नारायणबगड़–भगोती किमी0–10 से झिंझोणी मो0मार्ग	2014	4.76900	9.53800	9.50000	0.03800	0.03748	ग्राम झिंझोणी सिविल	0.03800	पश्चिमी पिण्डर
8	विष्णुगाड–पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना निर्माण	2014	5.66800	58.00000	10.00000	48.00000	47.34048	दशोली–चतुर्थ, क0नं0–11अ	10.00000	चमोली
								दशोली–पंचम, क0नं0–20	7.00000	चमोली
								दशोली–चतुर्थ, क0नं0–16अ	6.00000	चमोली
								नौरख वन पंचायत / सिविल	5.00000	चमोली
								दशोली–अष्टम(द0), क0नं0–11	5.00000	चमोली
								दशोली–चतुर्थ, क0नं0–13अ	10.00000	चमोली
								दशोली–अष्टम(द0), क0नं0–9	5.00000	चमोली
								योगः–	48.00000	
9	जनपद चमोली के अंतर्गत 400के0वी0 डी0सी0 तपोवन–विष्णुगाड–पीपलकोटी पारेषण लाईन निर्माण	2020	61.47900	22.00000	14.39200	7.60800	7.50347	कुजाकोट–चतुर्थ, क0नं0–3	1.00000	नदप्रयाग
								नंदाकिनी– I, क0नं0–8अ	5.00000	नदप्रयाग
								दशोली– III क0नं0–13	1.60800	चनोली
								योगः–	7.60800	
10	थराली से पैनगढ़ मोटर मार्ग निर्माण (PMGSY)	2019	4.81200	9.62400	4.75100	4.87300	4.80604	पैनगढ़ सिविल खसरा–276	4.87300	पश्चिमी पिण्डर
11	टंगणीतल्ली से टंगणीमल्ली मोटरमार्ग निर्माण(PMGSY)	2021	3.33500	6.67900	4.24700	2.42300	2.38971	देवसारी– I क0नं0–3ब	2.42300	पूर्वी पिण्डर
12	मानमती–चोटिंग–हरमल– झलिया मोटर मार्ग निर्माण	2018	15.07600	30.15200	12.95000	17.20200	16.96564	ग्राम उदयपुर सिविल	17.20200	पूर्वी पिण्डर
13	बोरागाड़–रेई मोटर मार्ग निर्माण	2021	1.80800	3.61600	0.00000	3.61600	3.56632	तूला सिविल, खसरा न0–79	3.61600	पश्चिमी पिण्डर

Scanned with CamScanner

क्र0 सं0	वन भूमि हस्तांतरण प्रकरण	हस्तांतरण वर्ष	हस्तांतरित वन भूमि (है0)	क्षतिपूरक वृक्षारोपण का लक्ष्य (है0 में)	अब तक किया गया वृक्षारोपण (है0 में)	वर्ष 2021–22 हेतु अ0मृ0का0 के अवशेष लक्ष्य (है0)	धनराशि (लाख में)	निर्धारित स्थल का नाम (जहा वृक्षारोपण किया जाना है)		अभ्युक्ति
								स्थल	हैक्टयर	
14	चोरगाड़ से सुतोल–कनोल मोटर मार्ग निर्माण (PMGSY Phase-XVII)	2021	6.70250	13.40500	0.00000	13.40500	13.22082	कनोल सिविल	13.40500	नदप्रयाग
15	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–07 के किमी0 399.00 कर्णप्रयाग से किमी0 460.00 पातालगंगा तक सड़क चौडीकरण एवं सुदृढीकरण	2020	40.89160	81.78320	0.00000	40.50000	39.94353	देवसारी– I, क0न0–8	7.50000	पूर्वी पिण्डर
								देवसारी– II, क0न0–103	5.00000	पूर्वी पिण्डर
								देवसारी– II, क0न0–1	10.00000	पूर्वी पिण्डर
								नवाली–पचम, क0न0–02	7.00000	पूर्वी पिण्डर
								नवाली–चतुर्थ, क0न0–7	5.00000	पूर्वी पिण्डर
								नवाली–पचम, क0न0–9	6.00000	पूर्वी पिण्डर
								योग:–	40.50000	
16	देवसारी–जल विद्युत परियोजना निर्माण	2019	198.50000	397.00000	0.00000	12.00000	11.83512	पिण्डरपार– II, क0न0–8	12.00000	मध्य पिण्डर
	कुल योग:–		354.13910	656.58820	80.01000	150.29500	148.22995	कुल योग:–	150.29500	

सारांश

क्र0सं0	रेंज	प्रस्तावित लक्ष्य है0 में	प्रस्तावित धनराशि लाख में
1	चमोली रेंज	49.88800	49.20254
2	नंदप्रयाग रेंज	19.66500	19.39480
3	पश्चिमी पिण्डर रेंज	8.60700	8.48874
3	मध्य पिण्डर रेंज	12.00000	11.83512
4	पूर्वी पिण्डर रेंज	60.13500	59.30875
	योग:–	150.29500	148.22995

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

Scanned with CamScanner

संलग्नक-07 संलग्नक-7

उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण
(उत्तराखण्ड कैम्पा)

(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38) की धारा 10(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)
वन भवन, 85 राजपुर रोड़, देहरादून, दूरभाष/फैक्स : 0135-2744077
Email: ceocampa-forest-uk@nic.in, website : www.ukcampa.org.in

पत्रांक-649 /3-3(5)/2021-22 दिनांक, 12 नवम्बर, 2021

सेवा में,

समस्त संबंधित वन प्रभाग,
उत्तराखण्ड।

विषय :- वर्ष 2021-22 के अंतर्गत धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदया/ महोदय,

उपरोक्त विषय एवं संदर्भित पत्रों के कम में वर्ष 2021-22 की स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत क्षतिपूरक वनीकरण-अग्रिम मृदा कार्य के लक्ष्यों के संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक 475/7-1(4) दिनांक 21.09.2021 के कम आपके स्तर से प्राप्त प्रकरणवार सूचना के आधार पर निम्न तालिकानुसार कुल **2487.64** है0 के लक्ष्यों को पूर्ण किये जाने के उद्देश्य से रू0 **1664.03** लाख की धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

Division	ASW targets proposed by Divisions for 2021-22 (ha)	Amount (In lakh Rs.)
1	2	3
Almora Forest Division	48.48	43.62
Almora CS Division	80.37	67.34
Bageshwar Forest Division	86.13	73.12
Champawat Forest Division	76.08	57.67
Pithoragarh Forest Division	889.73	294.96*
Tarai East Forest Division	160.00	67.24
Tarai West Forest Division	24.58	10.95
Haldwani Forest Division	157.00	140.00
Badrinath Forest Division	150.29	148.23
Rudraprayag Forest Division	386.00	380.52
Civil Soyam Pauri Forest Division	2.97	3.24
Dehradun Forest Division	85.33	74.75
Haridwar Forest Division	175.20	152.78
Chakrata Forest Division	15.06	12.36
Mussoorie Forest Division	69.90	57.34
Upper Yamuna Forest Division	16.47	13.49
Tons Forest Division	27.00	22.14
Nanda Devi National Park	37.06	44.28
ALL Total	2487.64	1664.03

*उपरोक्त तालिका के अंतर्गत पिथौरागढ़ वन प्रभाग के स्तर पर उनकी मांग के अनुसार आवंटित लक्ष्यों के सापेक्ष, वर्तमान में धनराशि की उपलब्धता के आधार पर 50: धनराशि अवमुक्त की गई है। प्रभाग को शेष धनराशि शासन से उक्त मद में अवशेष धनराशि प्राप्त होने पर अवमुक्त की जाएगी।

Scanned with CamScanner

समस्त लक्ष्य 1100 पौध प्रति हे0 की दर से पूर्ण किये जायें तथा वन भूमि हस्तांतरण प्रकरण के स्वीकृति आदेश में अंकित निर्धारित स्थल पर ही पूर्ण किये जाएं।

कृपया अवमुक्त की गई धनराशि का कैम्पा के निर्धारित मानकों के अनुसार उपयोग करते हुए इसकी वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की MIS में ससमय पूर्ण प्रविष्टि सुनिश्चित की जाए। अवमुक्त की गई धनराशि के व्यय के संबंध में निम्न नियमों एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

नियम एवं शर्तें:-

51. भारत सरकार द्वारा अधिसूचित *प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम-2016* के अंतर्गत निर्गत *प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली – 2018* में उल्लिखित प्राविधानों एवं अनुमन्य गतिविधियों के कियान्वयन हेतु ही अवमुक्त धनराशि का उपयोग किया जाय।
52. अवमुक्त धनराशि का उपयोग प्रभाग की स्वीकृत कार्ययोजना/प्रबंध योजना एवं वार्षिक कार्ययोजना के उपरोक्त स्वीकृत मदों में ही किया जाय एवं उच्च स्तरों से समय-समय पर प्राप्त अन्य सुसंगत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में प्रतिबंधित मदों/गतिविधियों में कदापि न किया जाय।
53. भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति अनिवार्य रूप से अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष ही प्राप्त की जाय। बजट की प्रत्याशा में कोई कार्य न संपादित करायें जायें। धनराशि की प्रत्याशा में कराये गये कार्यों हेतु संबंधित क्रियान्वयन अभिकरण स्वयं उत्तरदायी होंगे।
54. जिन कार्यों के संपादन हेतु डी0पी0आर अपेक्षित है उक्त हेतु डी0पी0आर तैयार कर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उसकी सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जाय। स्वीकृत डी0पी0आर की एक प्रति इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाई जाए।
55. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा अन्य वित्तीय नियमों का पालन किया जाय।
56. प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने एवं निविदा प्रक्रिया से बचने के लिए सामग्रियों व कार्यों की मात्रा को छोटे-छोटे टुकड़ों में न बांटा जाए।
57. कार्य की सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जाए। बजट की प्रत्याशा एवं बिना सक्षम स्तर की स्वीकृति के कोई कार्य सम्पन्न न कराया जाए।
58. निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOR) आधार पर गठित आगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण करा लिया जाए एवं व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, में पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाय।
59. कैम्पा योजना के अन्तर्गत सम्पादित कराये जाने वाले समस्त कार्यों हेतु मानक दर के अनुसार ही मजदूरी का भुगतान किया जाए।
60. आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी एवं वन संरक्षक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
61. उपरोक्त कार्यों को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि संबंधित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत नहीं है। यदि कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पूर्व से स्वीकृत है तो कार्य के सापेक्ष व्यय एक ही योजना के अन्तर्गत किया जाय तथा दूसरी योजना में प्रदत्त स्वीकृति को निरस्त कर यथासमय इस कार्यालय को सूचित किया जाय।
62. प्रभागीय तथा वृत्त स्तर पर प्रशासनिक/वित्तीय प्रबन्धन के लिए समयबद्ध/प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
63. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 (लेखा नियम) भाग-1 एवं खण्ड-7 (वन लेखा नियम) आय-व्ययक संबंधी नियम (बजट मैनुअल) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2017 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
64. कैम्पा के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का मासिक क्लासीफाइड लेखा प्रत्येक अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।
65. उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के अन्तर्गत किये जाने वाले समस्त भुगतान वर्तमान प्रचलित दिशा-निर्देशों/शासनादेशों एवं संचालन समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी/सक्षम स्तर द्वारा चैक/RTGS/डिजिटल माध्यम से ही किया जाय।
66. उक्त कार्यों को किए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तावित कार्य अन्य योजनाओं में प्रस्तावित अथवा कराए न गए हों।
67. प्रस्तावित कार्यों का विधिवत Documentation किया जाए।
68. कैम्पा निधि के अन्तर्गत समस्त कार्यों में स्थल पर इस आशय का बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाया जाये, जिसमें कार्य का संक्षिप्त विवरण, कार्य कराए जाने का वर्ष तथा व्यय धनराशि अंकित हो। साथ ही इसमें "उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा वित्तपोषित" भी प्रमुखता से अंकित किया जाये।
69. वृक्षारोपण एवं अन्य स्थलीय कार्यों को संपादित किये जाते समय, कार्य को जन-समारोह के रूप में मनाते हुए स्थानीय जन प्रतिनिधियों, स्थनीय जनमानस, युवाओं, छात्र-छात्राओं आदि को भी आमंत्रित किया जाये।
70. सम्पादित कार्यों को अनिवार्य रूप से ई-ग्रीनवॉच पोर्टल में अपलोड कर समयबद्ध प्रविष्टि की जाये।
71. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाय।

Scanned with CamScanner

72. व्यय की अधिकतम सीमा कैम्पा निधि की स्वीकृत कार्ययोजना व संबंधित मद की स्वीकृत धनराशि से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त धनराशि/प्राविधान की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।
73. कार्यों का क्रियान्वयन उच्च गुणवत्ता से समयान्तर्गत सम्पादित किया जाय।
74. समस्त स्थल विशिष्ट कार्य की अक्षांश व देशांतर की कैम्पा एम0आई0एस0 में प्रविष्टि समयबद्ध रूप से की जाय तथा सम्पादित कार्यों के यथासम्भव फोटो भी एम0आई0एस0 में अपलोड किए जाएं।
75. सम्पादित कार्यों की प्रविष्टि कैम्पा एम0आई0एस0 में समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाए।

भवदीय,

(जे0 एस0 सुहाग)
अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा

पत्रांकः– 649 /3–3(5)/2021–22 दिनांकित प्रतिलिपि :–

9. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
10. मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
11. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
12. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल तथा कुमाऊं जोन को सूचनार्थ प्रेषित।
13. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊं, पश्चिमी, गढ़वाल, शिवालिक, यमुना वृत्त तथा निदेशक, नंदादेवी बायोस्फीयर रिजर्व, जोशीमठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(जे0 एस0 सुहाग)
अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा

Scanned with CamScanner

श्री विनोद कुमार, प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा की अध्यक्षता में दि0 04.04.2022 को वन मुख्यालय के VC कक्ष में आयोजित उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा) की कार्यकारी समिति की अष्ठम् बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति सदस्यों/प्रतिनिधियों का विवरण :

1. डॉ॰ पराग मधुकर धकाते, मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड।
2. डॉ॰ समीर सिन्हा, अपर प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाएं, (नोडल अधिकारी–वन विकास अभिकरण) उत्तराखण्ड।
3. श्री विनीत पांगती, अपर प्रमुख वन संरक्षक, अनुसन्धान प्रशिक्षण एवं प्रबन्धन।
4. श्री बी0 पी0 गुप्ता, अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड।
5. श्री आर0के0 मिश्र, अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव प्रशासन एवं आसूचना, उत्तराखण्ड।
6. श्री दिनेश वर्मा, संयुक्त निदेशक, प्रतिनिधि–अपर सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
7. श्री सुरेन्द्र सिंह रावत, संयुक्त सचिव–जनजाति विकास, उत्तराखण्ड शासन, प्रतिनिधि–अपर सचिव, जनजाति विकास, उत्तराखण्ड शासन।
8. श्री एम0 एस0 राणा, संयुक्त निदेशक, प्रतिनिधि–अपर सचिव–पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन।
9. श्री कवीन्द्र सिंह, संयुक्त सचिव–विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उत्तराखण्ड शासन प्रतिनिधि – अपर सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उत्तराखण्ड शासन।
10. श्री जे0सी0 जोशी, वित्त नियंत्रक, वन विभाग।
11. श्री एस0टी0एस0 लेप्चा, जनजाति मामलों के विशेषज्ञ/जनजाति समुदाय के प्रतिनिधि।
12. श्री जे0एस0 सुहाग, अपर प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा एवं सदस्य सचिव, कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।

सर्वप्रथम सदस्य सचिव–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा कैम्पा का संक्षिप्त परिचय देते हुए सभी सदस्यों का स्वागत किया गया तथा कैम्पा के अंतर्गत प्रदेश में कराए जा रहे विशिष्ट कार्यों से सदस्यों को अवगत कराया। अध्यक्ष, कार्यकारी समिति

Scanned with CamScanner

द्वारा उपस्थित सदस्यों को अवगत कराया गया कि कैम्पा के अंतर्गत सम्पादित किये जाने वाले कार्यों को प्रोजेक्ट मोड पर किये जाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें मुख्यतः तीन अभिनव कार्य आरंभ किये जाने की योजना है जो मृदा एवं जल संरक्षण, लैंटाना उन्मूलन तथा वन विभाग के अंतर्गत रेंज स्तर तक फ्रन्ट लाइन स्टाफ के भवनों/कार्यालयों के निर्माण से संबंधित हैं। अध्यक्ष महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि:–

1. प्रदेश में जल संरक्षण व वनाग्नि रोकथाम के दृष्टिगत वर्षा जल संरक्षण की दिशा में सराहनीय प्रयास किये जा रहे हैं। इन्हीं कार्यों को न केवल प्रभाग स्तर की आवश्यकता/मांग अपितु प्रदेश के अंतर्गत और अधिक गहन तरीके से सूख रहे जल स्रोतों के पुनरोद्धार हेतु केन्द्रित किया जायेगा। इस विषय पर विगत वर्षों में विशेषज्ञों, जल संरक्षण का कार्य कर रहे संस्थानों व विभिन्न गैर सरकारी संगठनों से गहन चर्चा उपरांत Sprinshed Management Committee (SMC) गठित है, जिसके सहयोग से प्रदेश व्यापी संकटग्रस्त जल स्रोतों को चिन्हित कर, वैज्ञानिक विधि से प्रत्येक स्रोत से संबंधित विस्तृत तकनीकी रिपोर्ट (DTR) तैयार की जायेगी व उसके अनुसार ही क्षेत्र/स्थलवार 2–3 वर्ष का लक्ष्य निर्धारित कर, कैचमेंट ट्रीटमेंट का कार्य किया जायेगा, जिससे कि ऐसे जल स्रोतों के डिस्चार्ज में वृद्धि हो सके।
2. तेजी से फैलने वाली खरपतवार, विशेषकर लैंटाना के वन क्षेत्रों में व्यापक विस्तार को देखते हुए उत्तराखण्ड कैम्पा के अंतर्गत लैंटाना उन्मूलन पर विशेष बल दिया जा रहा है। यह कार्य केवल लैंटाना उखाड़ने तक सीमित नहीं होगा अपितु इसे तीन वर्षों की अवधि हेतु प्रोजेक्ट मोड में संचालित किया जायेगा। लैंटाना उखाड़ने के साथ साथ इसमें स्थानीय घास प्रजातियों के रोपण को भी सम्मिलित किया गया है जिससे कि इन स्थानों पर वन्यजीवों हेतु उचित वासस्थल विकसित हो सके।
3. वनों एवं वन्यजीवों की सुरक्षा के दृष्टिगत विभाग में परंपरागत रूप से बनाई जा रही वन रक्षक चौकियों के स्थान पर वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के साथ–साथ फील्ड कार्मिकों/फ्रन्ट लाइन स्टाफ की वास्तविक आवश्यकताओं एवं उनकी सुरक्षा तथा पूर्ण प्रदेश के अंतर्गत एकरूपता के दृष्टिगत अब एकीकृत वन चौकियों का निर्माण कराये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड स्तर से स्थायी आदेश निर्गत किए गये हैं व इसकी पृथक से एस0ओ0पी0 भी जारी की गई है (इसके साइड सलेक्शन रखरखाव, जिसमें एक समान रंग इत्यादि भी सम्मिलित है)। वन विभाग में बड़े पैमाने पर वन रक्षकों व वन दरोगाओं की नई भर्तियों, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी सम्मिलित हैं, की सुरक्षा आदि को ध्यान में रखते हुए भी ऐसा निर्णय लिया गया है। कार्यालय एवं आवसीय कक्षों के साथ–साथ इनमें हथियार व उपकरण, मानचित्र व अभिलेख, शौचालय व किचन सहित पृथक से बन्दीगृह का भी प्राविधान किया गया है। इसके

अतिरिक्त दूरस्थ वन क्षेत्र में प्रकाश व पानी की व्यवस्था के लिये सोलर पैनल व पंप की व्यवस्था भी की जायेगी। इसकी पृष्ठभूमि में यह मूल भावना है कि सूदूर वन क्षेत्रों में अवस्थित होने वाली ऐसी वन चौकियों में गश्त के दौरान वन कर्मियों की टीम को किसी प्रकार की असुविधा न हो, चौकियां रहने योग्य हों तथा वनों में अनैतिक / असंवैधानिक गतिविधियों में रोक लगाये जाने का पूर्ण प्रयास किया जा सके।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति के उपरांत मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य–सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा कार्यकारी समिति की अष्ठम् बैठक की एजेण्डावार कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

कार्यसूची कार्यकारी समिति 8.1:

उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यकारी समिति की दिनांक 05.01.2022 को सम्पन्न हुई सप्तम बैठक की कार्यवाही की पुष्टि एवं अनुपालनः

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा दिनांक 05.01.2022 को आयोजित कार्यकारी समिति की सप्तम बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार लिए गये निर्णयों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या समिति के सदस्यगणों के समक्ष प्रस्तुत की गई। समिति उक्त से अवगत हुई एवं समिति द्वारा कार्यवृत्त का अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्यसूची कार्यकारी समिति 8.2:

वर्ष 2021–22 की भारत सरकार द्वारा स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना एवं उसके सापेक्ष शासन द्वारा प्राप्त धनराशि के विरूद्ध व्यय की अद्यतन स्थिति।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा समिति को अवगत कराया कि राष्ट्रीय कैम्पा, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021–22 हेतु उत्तराखण्ड कैम्पा की संचालन समिति द्वारा प्रस्तावित रू0 95000.00 लाख की वार्षिक कार्ययोजना के सापेक्ष रु0 72688.00 लाख की वार्षिक कार्ययोजना स्वीकृत की गई थी। उक्त के सापेक्ष उत्तराखण्ड शासन द्वारा रू0 44000.00 लाख का बजट स्वीकृत करते हुए धनराशि आवंटित की गई। वित्तीय वर्ष 2021–22 के अंतर्गत क्रियान्वयन अभिकरणों को कुल रु0 43436.20 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। कियान्वयन अभिकरणों को अवमुक्त की गई धनराशि के अंतर्गत रू0 3661.00 लाख की धनराशि विगत वर्ष में प्राप्त बजट के अवशेष के अंतर्गत अवमुक्त की गई, जिसके लिए गतवर्ष में संचालन समिति के अध्यक्ष महोदय से अनुमोदन प्राप्त किया गया था। उक्त के सापेक्ष दिनांक 04.04.2022 को MIS प्रविष्टि के आधार पर व्यय की प्रगति रु0 24430.15 लाख परिलक्षित है जिसका घटकवार विवरण निम्नानुसार है :–

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

	क्षतिपूरक वनीकरण	कैट प्लान	एन0पी0वी0	अन्य	अर्जित ब्याज	कुल योग
स्वीकृत कार्ययोजना	8347.00	10960.00	47952.00	2479.00	2950.00	72688.00
अवमुक्त धनराशि	5247.28	5310.47	30271.12	1500.00	1107.33	43436.20
व्यय	3346.59	2444.04	17645.82	564.89	428.81	24430.15
अवमुक्त के सापेक्ष व्यय %	**63.77**	**46.02**	**58.29**	**37.65**	**38.72**	**56.24**

सदस्यगणों के समक्ष मुख्य गतिविधियों के अंतर्गत कार्य प्रगति का प्रस्तुतिकरण किया गया, जिसमें भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के साथ साथ सम्पादित कार्यों के फोटो ग्राफ भी प्रस्तुत किये गये। समिति द्वारा वर्तमान में व्यय की न्यून प्रगति के कारणें के सम्बन्ध में भी चर्चा की गई। मुख्य कार्यकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा अवगत कराया गया कि उपरोक्त प्रगति माह फरवरी, 2022 के व्यय के आधार पर है, इसमें प्रभागों द्वारा माह मार्च, 2022 के अंतर्गत हुए व्यय की एम0आई0एस0 प्रविष्टि नहीं की गई है। साथ ही अवस्थापना सम्बन्धी कार्यों में कई वन प्रभाग विधान सभा चुनाव के मद्देनजर लगी आदर्श आचार संहिता के चलते कार्य प्रारम्भ नहीं कर पाए हैं। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि समस्त क्रियान्वयन अभिकरणों को निर्देशित किया जाए कि सप्ताहान्तर्गत वर्ष 2021–22 के अंतर्गत हुए समस्त कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की एम0आई0एस0 में प्रविष्टि सुनिश्चित की जाए, ताकि वास्तविक व्यय की स्थिति स्पष्ट हो सके। समिति उक्तानुसार वर्ष 2021–22 की वार्षिक कार्ययोजना की प्रगति से अवगत हुई।

<u>कार्यसूची कार्यकारी समिति **8.3:**</u>

<u>वर्ष 2022–23 की वार्षिक कार्ययोजना का निरूपण।</u>

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा एवं सदस्य सचिव, कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से वर्ष 2022–23 हेतु उत्तराखण्ड कैम्पा की वार्षिक कार्ययोजना का गतिविधिवार प्रस्तुतिकरण किया गया। उनके द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि विगत वर्षों की भांति वर्ष 2022–23 हेतु भी प्रभागों के स्तर से कैम्पा की MIS पर अपनी–अपनी वार्षिक कार्ययोजना, गतिविधिवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों सहित स्थल वार अपलोड की गई। तत्पश्चात् वृत्त स्तर पर उक्त की समीक्षा करते हुए संबंधित वन संरक्षकों द्वारा वृत्त की कार्ययोजना जोनल स्तर की स्वीकृति

हेतु अग्रसारित की गई जिसे जोनल स्तर पर समीक्षा उपरांत संबंधित जोनल चीफ द्वारा संस्तुत कर, उत्तराखण्ड कैम्पा को ऑनलाइन एम0आई0एस0 के माध्यम से प्रस्तुत की गई है।

उत्तराखण्ड कैम्पा के स्तर पर जोनल स्तर की संस्तुति उपरांत समस्त कार्ययोजनाओं को संकलित करते हुए वर्ष 2022–23 हेतु कुल रू0 41612.22 लाख की निरूपित वार्षिक कार्ययोजना को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसका घटकवार विवरण निम्नानुसार है:–

	क्षतिपूरक वनीकरण	अन्य	एन0पी0वी0	कैट प्लान	अर्जित ब्याज	कुल योग
प्रस्तावित कार्ययोजना	5984.00	1461.19	28887.24	3679.79	1600.00	41612.22

कार्यकारी समिति द्वारा प्रस्तावित वार्षिक कार्ययोजना की प्रत्येक गतिविधि के संबंध में चर्चा की गई। कतिपय गतिविधियों में चर्चा उपरान्त निम्नानुसार संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(क) क्षतिपूरक वनीकरण

सदस्य सचिव द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि क्षतिपूरक वनीकरण कैम्पा की स्थल विशिष्ट अत्यन्त महत्वपूर्ण गतिविधि है जिसके अंतर्गत वन भूमि हस्तांतरण प्रकरणों में पूर्व से इंगित स्थलों पर वृक्षारोपण किया जाता है। वर्ष 2022–23 की कार्ययोजना के अंतर्गत क्षतिपूरक वनीकरण में अग्रिम मृदा कार्य हेतु जोनल स्तर से प्राप्त कार्ययोजना में प्रभागों द्वारा मात्र 622 है0 का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है, जबकि वर्तमान में लगभग 5200 है0 के लक्ष्य अवशेष हैं। प्रभागवार लक्ष्य प्रस्तावित न किये जाने के कारणों पर चर्चा की गई, जिसमें कई प्रकरणों में स्थल का ढंगारी अथवा वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त न पाया जाना भी है। इस प्रकार उक्तानुसार समिति के समक्ष रखे गये वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत क्षतिपूरक वनीकरण, अग्रिम मृदा कार्य हेतु इस वर्ष वास्तविक लक्ष्य रखे जाने का निर्णय लिया गया, जिसकी शत प्रतिशत प्राप्ति भी सुनिश्चित की जा सके। इस आधार पर कुल 2200 है0 लक्ष्य निर्धारित किए जाने का निर्णय लिया गया। वर्ष 2022–23 हेतु विभिन्न वन भूमि हस्तांतरण के मामलों के सापेक्ष कुल 3000 है0 वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है। उक्त के अतिरिक्त पूर्व के वर्षों में रोपित 11471 है0 क्षेत्र के अनुरक्षण व पौधशाला विकास हेतु भी धनराशि का प्रावधान किया गया है। समिति उक्त से अवगत हुई व क्षतिपूरक वनीकरण के अंतर्गत प्रस्तावित लक्ष्यों से समिति द्वारा सहमति जताई गई।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

35

(ख) कैट प्लान

समिति को अवगत कराया गया कि वर्तमान में प्रदेश में कुल 11 कैट प्लान संचालित हैं जिनके अंतर्गत वर्ष 2022–23 में संबंधित कैट प्लान की स्वीकृत डी0पी0आर0 के अनुसार लक्ष्यों को पूर्ण किये जाने हेतु कुल रू0 3679.79 लाख धनराशि प्रस्तावित की गई है, जिसके अंतर्गत कैट प्लान वार विवरण निम्नानुसार है:–

S. No.	Name of CAT plan	Unit	Physical Targets	Amount (In Lakh Rs.)
1	Tapovan Vishnugad HEP	LS	As per approved DPR (details attached)	277.75
2	Lata Tapovan HEP	LS		292.63
3	Singoli Bhatwari HEP	LS		339.13
4	Phatta Byung HEP	LS		91.00
5	Srinagar HEP	LS		54.92
6	Vyasi HEP	LS		282.88
7	Lakhwar HEP	LS		837.07
8	Vishungad Pipalkoti HEP	LS		490.37
9	CAT PMU	LS		98.50
10	Mori Naitwar HEP	LS		460.01
11	Jamrani HEP	LS		346.92
12	Khutani HEP	LS		108.61
	SUB TOTAL (B)			**3679.79**

उक्त के संबंध में अपर प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाएं एवं सामुदायिक वानिकी, उत्तराखण्ड एवं सदस्य, कार्यकारी समिति द्वारा सुझाव दिया गया कि चूंकि कैट प्लान की डी0पी0आर0 की स्वीकृति 07 वर्षों के लिए जारी की जाती है, अतः उक्त अवधि में प्रस्तावित लक्ष्य पूर्ण न होने के कारण हाल ही में कतिपय योजनाओं को प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड के स्तर से 02 वर्ष का विस्तार दिया गया है। कुछ ऐसे भी कैट प्लान हैं जिनमें चालू योजनाओं में अभी 02 से 03 वर्षों की अवधि शेष है। ऐसी योजनाएं जो आगामी 02 वर्षों में समाप्त होने वाली हैं, उनमें परियोजना की शेष धनराशि को वर्ष 2022–23 में 60 प्रतिशत तथा वर्ष 2023–24 में 40 प्रतिशत धनराशि प्राविधानित की जानी उचित होगी जिससे परियोजना के अंतिम वर्ष में गतिविधियों का दबाव अत्यधिक न रहे व अधिकांशतः समेकन फेज की गतिविधियां ही शेष रहें। समिति द्वारा उक्त पर सहमति जताई गई।

उक्त के संबंध में प्रमुख वन संरक्षक महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि कैम्पा के अंतर्गत क्षतिपूरक वनीकरण की भांति कैट प्लान भी अनिवार्य एवं समयबद्ध गतिविधि है, अतः अपर प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाएं, उत्तराखण्ड के उपरोक्त सुझाव के अनुसार

कैट प्लानों के अंतर्गत प्राविधानित धनराशि को संशोधित कर लिया जाए तथा जहां आवश्यक हो वहां अतिरिक्त धनराशि का प्राविधान कर लिया जाए। उनके द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि प्लानिंग फेज़ की सभी लंबित Entry Point Activities इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर ली जाएं व समेकन फेज़ की गतिविधियां परियोजना अवधि के अंतिम 02 वर्षों में पूर्ण की जाएं। उनके द्वारा स्पष्ट निर्देश दिये गये कि अनिवार्य रूप से परियोजना की डी0पी0आर0 स्वीकृत होने के पश्चात् ही कार्य आरंभ किया जाए। बिना डी0पी0आर0 अनुमोदन के कार्य प्रारम्भ की स्थिति हेतु सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी एवं उनके नियंत्रक अधिकारी उत्तरदायी होंगे। इस वित्तीय वर्ष हेतु प्रभागों के सभी प्रस्तावों के सापेक्ष धनराशि प्राविधानित कर ली जाए किन्तु धनराशि अवमुक्त किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि परियोजना की डी0पी0आर0 स्वीकृत है या नहीं।

उक्तानुसार प्राप्त सुझावों व अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार कैट प्लान के अंतर्गत प्राविधानित धनराशि को संशोधित करते हुए निम्नानुसार रू0 4934.69 लाख की धनराशि प्रस्तावित/प्राविधानित की गई :-

S. No.	Name of CAT plan	Unit	Physical Targets	Amount (In Lakh Rs.)
1	Tapovan Vishnugad HEP	LS	As per approved DPR (details attached)	840.64
2	Lata Tapovan HEP	LS		322.16
3	Singoli Bhatwari HEP	LS		270.01
4	Phatta Byung HEP	LS		137.03
5	Srinagar HEP	LS		108.92
6	Vyasi HEP	LS		282.88
7	Lakhwar HEP	LS		1037.07
8	Vishungad Pipalkoti HEP	LS		921.94
9	CAT PMU	LS		98.50
10	Mori Naitwar HEP	LS		460.01
11	Jamrani HEP	LS		346.92
12	Khutani HEP	LS		108.61
	SUB TOTAL (B)		0.00	4934.69

(ग) अन्य 'विशिष्ट' कार्य

अन्य 'विशिष्ट' कार्य घटक के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों पर चर्चा के दौरान उपस्थित सदस्यों को अवगत कराया गया कि सड़कों व पारेषण लाइनों से जुड़े वन भूमि हस्तांतरण मामलों में पथ वृक्षारोपण एवं बौनी प्रजातियों के रोपण की शर्तों के अनुसार धनराशि का प्राविधान किया गया है। परियोजना क्षेत्र में रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण किए जाने की शर्तें निहित हैं, जिसके सापेक्ष लक्ष्य प्राविधानित किये गये हैं। उक्त के अतिरिक्त खनन के मामलों में गौला, दाबका, सौंग, जाखन आदि नदियों में रिवर ट्रेनिंग की शर्त के अनुसार धनराशि प्राविधानित की गई है।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

पथ वृक्षारोपण के संबंध में प्रमुख वन संरक्षक महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि पौधों की उचित गुणवत्ता हेतु पौधशालाओं में तीन वर्षों तक पौधों का रखरखाव किया जाये जिससे कि पौधों का आकार व जड़ों की सुदृढ़ स्थिति से रोपित पौधों की सफलता मानकों के अनुसार रहे व रोड साइड प्लान्टेशन में 3 वर्षों तक की पौध का ही रोपण किया जाए।

इस प्रकार इस मद में कुल रू0 1461.19 लाख की धनराशि के प्रस्ताव सम्मिलित हैं। समिति उक्त से अवगत हुई तथा अपनी सहमति प्रदान की गई।

(घ) एन0 पी0 वी0

एन0पी0वी0 घटक के संबंध में अवगत कराया गया कि प्रतिपूरक वनीकरण निधि नियम, 2018 के नियम 5(2) तथा 5(3) के प्रावधानों के अनुसार एन0पी0वी0 की प्रस्तावित गतिविधियों को क्रमशः न्यूनतम 80 प्रतिशत व अधिकतम 20 प्रतिशत की श्रेणी में विभाजित किया गया है। समिति द्वारा गतिविधिवार चर्चा के दौरान दिये गये निम्न सुझावों एवं प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा दिये गये निर्देशों के कम में प्रस्तावित वार्षिक कार्ययोजना में निम्न संशोधन किये गये:–

(i) नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत प्राविधानित रू0 1210.28 लाख की धनराशि के संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि उक्त के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पुनः अवलोकन कर लिया जाए व इसके अंतर्गत कैम्पा से केवल वृक्षारोपण के कार्य हेतु ही धनराशि प्राविधानित की जाए।

(ii) वनाग्नि प्रबंधन मद में प्राविधानित धनराशि के संबंध में मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड एवं विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि मा0 मुख्यमंत्री की अपेक्षानुसार प्रदेश में वनाग्नि प्रबंधन एवं वनाग्नि की घटनाओं की जिलावार जानकारी के लिये राज्य स्तरीय वनाग्नि कंट्रोल रूम को सुदृढ़ करते हुए इसे Integrated Forest Fire Control & Command Centre के रूप में विकसित किया जाना हैं। इस केन्द्र में वनाग्नि की घटनाओं की जिलावार व रियलटाईम मॉनिटरिंग से संबंधित सूचनाओं हेतु पैनल लगाए जाऐंगे व वनाग्नि की स्थिति में संबंधित को त्वरित कार्यवाही हेतु उक्त सूचना उपलब्ध कराई जायेगी। अध्यक्ष महोदय की अनुमति से वनाग्नि सुरक्षा मद में प्रस्तावित रू0 1229.18 लाख की धनराशि के अंतर्गत रु0 300.00 लाख की धनराशि Integrated Forest Fire Control & Command Centre हेतु प्राविधानित करते हुए उक्तानुसार प्रस्ताव सम्मिलित किया गया।

(iii) Soil and Water Conservation under Springshed Management मद में प्राविधानित धनराशि के संबंध में मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड की अपेक्षानुसार Preparation and Implementation of State Level Landslide Treatment Plan हेतु धनराशि प्राविधानित किये जाने का प्रस्ताव दिया गया। अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार उक्त मद में प्राविधानित रू0 5354.30 लाख की सीमा के अंतर्गत ही उक्तानुसार State Level Landslide Treatment Plan तैयार किये जाने एवं क्रियान्वयन हेतु चालू वित्तीय वर्ष में प्रारम्भिक रूप से रू0 5.00 करोड़ की धनराशि प्राविधानित किये जाने का निर्णय लिया गया।

(iv) प्राकृतिक पर्यावास सुधार मद में प्राविधानित लैंटाना प्रजाति के उन्मूलन के संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि इसके संबंध में प्रभागों को स्पष्ट गाइडलाइन उपलब्ध कराई जाये, जिसमें लैंटाना उन्मूलन के साथ साथ घास प्रजातियों का रोपण व रखरखाव का कार्य तीन वर्षीय योजना के रूप में कियान्वित किया जाए। साथ ही उनके द्वारा निर्देशित किया गया कि लैंटाना उन्मूलन का कार्य प्रभाग की 10 वर्षीय कार्ययोजना/प्रबंध योजना के अनुसार ही किया जाये तथा इसमें लक्ष्यों व धनराशि के आवंटन से पूर्व यह भी सुनिश्चित करं लिया जाये कि लैंटाना ग्रस्त क्षेत्रों में आच्छादन की दर क्या है तथा 100, 75 अथवा 50 प्रतिशत की दर, जहां जैसा लागू हो, के आधार पर ही सम्बन्धित वृत्त की अनुसूचित दरों के अनुसार ही धनराशि आवंटित की जाए। लैन्टाना एवं अन्य घास प्रजातियों के उन्मूलन के सम्बन्ध में SCIENCE संस्था द्वारा तैयार किए गये डाटा का भी परीक्षण कर लिया जाए। इस हेतु अध्यक्ष महोदय द्वारा मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक को SCIENCE संस्था से उक्त डाटा/रिपोर्ट प्राप्त किये जाने का दायित्व दिया गया।

(v) Construction of Wildlife Rescue and Rehabilitation Centre के निर्माण के संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा जानकारी चाही गई कि उक्त रेस्क्यू सेंटर कहां प्रस्तावित हैं। सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि एक रेस्क्यू सेंटर कॉर्बेट टाईगर रिजर्व में निर्माणाधीन है एवं दूसरा लैंसडाउन वन प्रभाग के अंतर्गत कण्वाश्रम में निर्माणाधीन है जिसकी CZA से भी स्वीकृति ली गई है, वर्ष 2022–23 कीं कार्ययोजना में इस हेतु ही धनराशि प्राविधानित की गई है।

(vi) Construction of Monkey Rescue Centre के संबंध में सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त के अंतर्गत प्राविधानित रू0 269.00 लाख की धनराशि के अंतर्गत कुल 02 केन्द्र निर्मित होने हैं जिनमें से एक केदारनाथ वन प्रभाग में तथा

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

दूसरा दानी बंगर क्षेत्र में, तराई पूर्वी वन प्रभाग के अंतर्गत है। अध्यक्ष महोदय के निर्देशों के अनुसार अल्मोड़ा तथा हरिद्वार स्थित वानर रेस्क्यू सेंटरों के रखरखाव हेतु भी धनराशि को सम्मिलित करते हुए उक्त में कुल रू0 300.00 लाख की धनराशि प्राविधानित करने का निर्णय लिया गया।

(vii) Strengthening of Voluntary Village Wildlife Protection Force (VVWPF) के अंतर्गत प्राविधानित धनराशि के संबंध में मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि विभाग द्वारा VVWPF के स्थान पर उक्त के लिये Task Force on Human Wildlife Conflict Mitigation का उपयोग किया जायेगा। अतः इसे तद्नुसार संशोधित किये जाने का निर्णय लिया गया।

(viii) Radio Collaring के संबंध में मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड का सुझाव प्राप्त हुआ कि इसके अंतर्गत भिन्न भिन्न वन्यजीवों के मूवमेंट की tracking हेतु रेडियो कॉलर लगाए जाने हैं, जिनका साईज भी भिन्न है। यह अभी development फेज में है अतः उक्त मद के शीर्षक को संशोधित कर Radio Collaring / Development of Wildlife Tracking Technologies किये जाने की अपेक्षा की गई। समिति द्वारा उक्त पर सहमति व्यक्त की गई।

(ङ) अर्जित ब्याज

उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय के प्रबंधन व अधिकारियों, कर्मचारियों के वेतन, भत्ते इत्यादि हेतु अर्जित ब्याज मद में धनराशि का प्राविधान किया जाता है। उक्त प्राविधान प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियम, 2018 के नियम 6(a) व 6(b) के अंतर्गत प्रस्तावित किये जाते हैं जिसमें कैम्पा कार्यों की मॉनिटरिंग, क्षतिपूरक वनीकरण व कैट प्लानों में बढ़ी दरों की प्रतिपूर्ति आदि का प्राविधान भी किया जाता है। उत्तराखण्ड कैम्पा, भारत सरकार के राजपत्र द्वारा गठित स्वायत्तशासी प्राधिकरण है, इसका पृथक कार्यालय/परिसर established किये जाने के दृष्टिगत वर्ष 2022–23 की वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत कैम्पा कार्यालय भवन के निर्माण हेतु प्रारम्भिक रूप से रू0 600.00 लाख की धनराशि का अर्जित ब्याज के अंतर्गत प्राविधान किये जाने का निर्णय लिया गया। इस प्रकार वर्ष 2022–23 की वार्षिक कार्ययोजना में अर्जित ब्याज की रू0 1400.00 लाख की धनराशि विभिन्न मदों में कार्यवृत्त के पृष्ठ सं0–17 के G 1 से 5 अनुसार प्रस्तावित की गई है।

इस प्रकार उपरोक्तानुसार संशोधन उपरान्त वर्ष 2022–23 हेतु कैम्पा के विभिन्न घटकों के अंतर्गत कुल रू0 41898.12 लाख की कार्ययोजना को निम्नानुसार उत्तराखण्ड कैम्पा की संचालन समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई :–

(धनराशि लाख रू0 में)

	क्षतिपूरक वनीकरण	अन्य	एन0पी0वी0	कैट प्लान	अर्जित ब्याज	कुल योग
प्रस्तावित कार्ययोजना	5184.00	1461.19	28918.24	4934.69	1400.00	41898.12

उपरोक्त का गतिविधिवार विवरण (एन0पी0वी0 के न्यूनतम 80 प्रतिशत व अधिकतम 20 प्रतिशत सहित) निम्नानुसार है :–

UTTARAKHAND CAMPENSATORY AFFORESTATION FUND MANAGEMENT AND PLANNING AUTHORITY

(UTTARAKHAND CAMPA)

ANNUAL PLAN OF OPERATION 2022-23

S. No.	Specific Head	Unit	Physical Target	Financial Target (Lakh Rs.)
1	2	3	4	5
	SITE SPECIFIC WORKS			
A-COMPENSATORY AFFORESTATION				
1	CA-Advance Soil Works @ 1100 pits/ha	ha	2200	1952.00
2	CA-Plantation @ 1100 plants/ha	ha	3000	1082.00
3	CA-Plantation Maintenance	ha	11471.48	1500.00
4	CA-Nursery Raising	No.	4000000	450.00
5	CA- Nursery Maintenance	No.	8253026	200.00
	SUB TOTAL (A)			5184.00
B-CATCHMENT AREA TREATMENT (CAT) PLAN				
1	Tapovan Vishnugad HEP	LS	As per approved DPR (details attached)	840.64
2	Lata Tapovan HEP	LS		322.16
3	Singoli Bhatwari HEP	LS		270.01
4	Phatta Byung HEP	LS		137.03
5	Srinagar HEP	LS		108.92
6	Vyasi HEP	LS		282.88
7	Lakhwar HEP	LS		1037.07
8	Vishungad Pipalkoti HEP	LS		921.94
9	CAT PMU	LS		98.50
10	Mori Naitwar HEP	LS		460.01
11	Jamrani HEP	LS		346.92
12	Khutani HEP	LS		108.61
	SUB TOTAL (B)		0.00	4934.69

Scanned with CamScanner

के सम्बन्ध में समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अर्जित ब्याज के अंतर्गत कैम्पा प्रबंधन, वेतन, भत्ते आदि से संबंधित व्यय उत्तरखण्ड कैम्पा के स्तर पर शासन से प्राप्त बजट के सापेक्ष पूर्व व्यवस्था अनुसार ही किया जाये व शेष कैम्पा के समस्त फील्ड कार्यों को शासन के निर्देशानुसार ही अनिवार्य रूप से बजटीय/कोषागार व्यवस्था के अनुसार की कराया जाये।

अन्त में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा अध्यक्ष–कार्यकारी समिति एवं समस्त उपस्थित सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की समाप्ति की गई।

अनुमोदित

(जे0 एस0 सुहाग)
अपर प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं सदस्य सचिव–कार्यकारी समिति,
उत्तराखण्ड कैम्पा

(विनोद कुमार)
प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड
एवं अध्यक्ष–कार्यकारी समिति,
उत्तराखण्ड कैम्पा

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

उत्तराखंड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखंड कैम्पा)
(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38) की धारा 10(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)
वन मुख्यालय, 85–राजपुर रोड, देहरादून टेलीफैक्स : 0135–2744077 ई–मेल: ceocampa-forest-uk@nic.in /ceoukcampa@gmail.com
web site- www.ukcampa.org.in

पत्रांक– 78 /EC (8) दिनांक, देहरादून, 04 मई, 2022

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित :–

1. मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उ0 कैम्पा।
2. नोडल अधिकारी, राज्य वन विकास अभिकरण (अपर प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाएं) एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उ0 कैम्पा।
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक, अनुसन्धान, प्रशिक्षण एवं प्रबन्धन, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उ0 कैम्पा।
4. नोडल अधिकारी–वन संरक्षण, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उ0 कैम्पा।
5. अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव प्रशासन एवं आसूचना, उत्तराखण्ड, देहरादून एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उ0 कैम्पा।
6. अपर सचिव–वन एवं पर्यावरण/वित्त/नियोजन/ग्राम्य विकास/राजस्व/कृषि/जनजाति विकास/पंचायती राज/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उ0 कैम्पा।
7. वित्त नियंत्रक, वन विभाग एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उ0 कैम्पा।
8. श्री एस0टी0एस0 लेप्चा, जनजाति मामलों के विशेषज्ञ/जनजाति समुदाय के प्रतिनिधि एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उ0 कैम्पा।
9. हिमालयन एक्शन रिसर्च सेन्टर, देहरादून गैर सरकारी संगठन एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उ0 कैम्पा।
10. उज्जवला, कोटद्वार मालिनी मार्केट, कोटद्वार, गैर सरकारी संगठन एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उ0 कैम्पा।

(जी.एस. पाण्डे)
अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं
सदस्य–सचिव, उत्तराखंड कैम्पा।

पत्रांक– 78 (1)/EC(8) उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव–वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन को प्रमुख सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित।
2. मुख्य वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) उत्तराखण्ड को प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) महोदय के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित।

(जी.एस. पाण्डे)
अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं
सदस्य–सचिव, उत्तराखंड कैम्पा।

सलग्नक -09

(9) 43

डॉ0 एस0 एस0 सन्धू, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन एवं अध्यक्ष–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा की अध्यक्षता में दि0 24.05.2022 को मुख्य सचिव सभागार में आयोजित उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा) की संचालन समिति की षष्ठम बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति सदस्यों/प्रतिनिधियों का विवरण :

1. श्री आर0के0 सुधांशु, प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
2. श्री ए0एस0 चौहान, अपर सचिव, प्रतिनिधि–प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
3. श्री दिनेश वर्मा, संयुक्त निदेशक, नियोजन, प्रतिनिधि–प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
4. श्री आनन्द स्वरूप, अपर सचिव, ग्राम्य विकास, प्रतिनिधि–प्रमुख सचिव/सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
5. श्री दीपेन्द्र चौधरी, सचिव, राजस्व, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
6. सुश्री झरना कामठान, अपर सचिव, प्रतिनिधि–प्रमुख सचिव/सचिव, जनजाति विकास/समाज कल्याण, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
7. श्री ओमकार सिंह, संयुक्त सचिव, पंचायती राज, प्रतिनिधि–प्रमुख सचिव/सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
8. श्री विनोद कुमार, प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) उत्तराखण्ड एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
9. डॉ0 पराग मधुकर धकाते, मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
10. डॉ0 कपिल जोशी, अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन संरक्षण एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
11. श्री पंकज अग्रवाल, अपर प्रमुख वन संरक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
12. डॉ0 समीर सिन्हा, नोडल अधिकारी, राज्य वन विकास अभिकरण एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।

Scanned with CamScanner

13. श्री एस0टी0एस0 लेप्चा, जनजाति मामलों के विशेषज्ञ/जनजाति समुदाय के प्रतिनिधि एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
14. श्री जी0एस0 पाण्डे, अपर प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा एवं सदस्य सचिव, संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।

सर्वप्रथम प्रमुख सचिव, वन, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–सचिव, शासी निकाय, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा बैठक का शुभारम्भ करते हुए संचालन समिति की षष्ठम बैठक में उपस्थित सदस्यों एवं प्रतिनिधियों का स्वागत किया गया। प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा संचालन समिति व अन्य समितियों के सम्बन्ध में CAF ACT, 2016 की विभिन्न धाराओं के अनुसार गठित अन्य समितियों की सदस्यता के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय के समक्ष विवरण प्रस्तुत किया गया। अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों का संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर बैठक की कार्यवाही आरम्भ करने के निर्देश दिये गये। मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य–सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से संचालन समिति की षष्ठम बैठक की एजेण्डावार कार्यवाही निम्नप्रकार प्रारम्भ की गई :–

<u>कार्यसूची संचालन समिति 6.1:</u>

<u>दिनांक 05.04.2021 को सम्पन्न हुई पंचम संचालन समिति की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि एवं अनुपालन:</u>

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा दिनांक 05.04.2021 को आयोजित संचालन समिति की पंचम बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार लिए गये निर्णयों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या समिति के सदस्यगणों के समक्ष प्रस्तुत की गई। समिति उपरोक्त से अवगत हुई।

<u>कार्यसूची संचालन समिति 6.2: वर्ष 2021–22 की वार्षिक कार्ययोजना हेतु स्वीकृत व अवमुक्त धनराशि एवं उसके सापेक्ष व्यय की स्थिति।</u>

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य–सचिव, संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा सदस्यगणों को अवगत कराया गया कि वर्ष 2021–22 हेतु भारत सरकार को संचालन समिति द्वारा कुल अनुमोदित `95080.00 लाख की वार्षिक कार्ययोजना को अन्तिम अनुमोदन हेतु राष्ट्रीय कैम्पा, भारत सरकार को प्रेषित किया गया था। भारत सरकार द्वारा इसके सापेक्ष कुल `72688.00 लाख हेतु स्वीकृत की गई थी। उक्त के सापेक्ष उत्तराखण्ड शासन द्वारा `44000.00 लाख का बजट उपलब्ध कराया गया। उक्त के अतिरिक्त वर्ष 2020–21 में बजट के माध्यम से प्राप्त एन0पी0वी मद में `4000 लाख की धनराशि, अध्यक्ष संचालन समिति से प्राप्त अनुमोदन के क्रम में वर्ष 2021–22 की स्वीकृत

वार्षिक कार्ययोजना के उसी मद में उपयोग किये जाने हेतु उपलब्ध थी । उक्त के सापेक्ष उत्तराखण्ड कैम्पा के अंतर्गत क्रियान्वयन अभिकरणों को अवमुक्त की गई धनराशि व उसके विरूद्ध व्यय की घटकवार प्रगति निम्नानुसार समिति के सम्मुख प्रस्तुत की गई :–

घटक का नाम	स्वीकृत एपीओ 2021–22	अवमुक्त धनराशि	व्यय	व्यय %
क्षतिपूरक वनीकरण	8346.69	5247.28	4721.74	90
कैट प्लान	10959.85	5311.97	4427.05	83
अन्य स्थल विशिष्ट गतिविधियां	2479.34	1500.00	731.36	49
एन0पी0वी0	47951.74	30271.12	26781.24	88
अर्जित ब्याज	2950.00	1107.33	890.93	80
योग	72687.62	43437.70	37552.32	86

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा तत्पश्चात वर्ष 2021–22 में क्रियान्वित की गई मुख्य गतिविधियों का विस्तृत प्रस्तुतिकरण किया गया तथा अध्यक्ष महोदय व अन्य सदस्यगणों के द्वारा विभिन्न गतिविधियों के सम्बन्ध में चाही गई अन्य जानकारियों से अवगत कराया गया।

<u>कार्यसूची संचालन समिति 6.3: वर्ष 2022–23 की प्रस्तावित वार्षिक कार्ययोजना का अनुमोदन</u>

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य–सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा उपस्थित सदस्यगणों को अवगत कराया गया कि वर्ष 2022–23 हेतु उत्तराखण्ड कैम्पा, कार्यकारी समिति की दिनांक 04 अप्रैल, 2022 को सम्पन्न अष्ठम बैठक में कुल 41898.12 लाख की वार्षिक कार्ययोजना संचालन समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये जाने हेतु स्वीकृत की गई, जिसका घटकवार विवरण निम्नानुसार है :–

(धनराशि `लाख में)

वचनबद्व गतिविधियां			एन0पी0वी0 (NPV)	अर्जित ब्याज (Interest)	कुल योग
क्षतिपूरक वनीकरण (CA)	अन्य विशिष्ट कार्य (OTHERS)	कैट प्लान (CAT)			
5184.00	1461.19	4934.69	28918.24	1400	41898.12

तत्पश्चात् मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा वर्ष 2022–23 हेतु कार्यकारी समिति के स्तर से संस्तुत वार्षिक कार्ययोजना का विस्तृत व मदवार विवरण संचालन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। संचालन समिति द्वारा इस पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई तथा गहन

Scanned with CamScanner

विचारोपरान्त कार्ययोजना के अंतर्गत कतिपय गतिविधियों में आंशिक संशोधन उपरान्त वर्ष 2022–23 की वार्षिक कार्ययोजना का अनुमोदन प्रदान किया गया। कतिपय संशोधनों के साथ वर्ष 2022–23 की अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना रु.41898.12 लाख का, गतिविधिवार विवरण निम्नानुसार है :–

S. No.	Relevant Act/Rule	Specific Head	Unit	Physical Target	Financial Target (Lakh Rs.)
1	2	3	4	5	6
		SITE SPECIFIC WORKS			
A-COMPENSATORY AFFORESTATION					
1	Section 6(a) of CAF Act, 2016	CA-Advance Soil Works @ 1100 pits/ha	ha	2200	1952.00
2		CA-Plantation @ 1100 plants/ha	ha	3000	1082.00
3		CA-Plantation Maintenance	ha	11471.48	1500.00
4		CA-Nursery Raising	No.	4000000	450.00
5		CA- Nursery Maintenance	No.	8253026	200.00
		SUB TOTAL (A)			5184.00
B-CATCHMENT AREA TREATMENT (CAT) PLAN					
1	Section 6(a) of CAF Act, 2016	Tapovan Vishnugad HEP		Plantation - 851 Ha., ASW-137 Ha. SMC Works-5867 Nos, Contour Trench-642.72 Ha., Wildlife Mgt & other livelihood related works	840.64
2		Lata Tapovan HEP	As per approved DPR		322.16
3		Singoli Bhatwari HEP			270.01
4		Phatta Byung HEP			137.03
5		Srinagar HEP			108.92
6		Vyasi HEP			282.88
7		Lakhwar HEP			1037.07
8		Vishungad Pipalkoti HEP			921.94
9		CAT PMU			98.50
10		Mori Naitwar HEP			460.01
11		Jamrani HEP			346.92
12		Khutani HEP			108.61
		SUB TOTAL (B)			4934.69
C	OTHER 'SPECIFIED' WORKS/CONDITIONS (As per Section 6(a) of CAF Act 2016)				
1	Section 6(a) of CAF Act, 2016	Road Side Plantation(RSP)-ASW	ha	18.55	43.34
2		RSP-Plantations	ha	152.08	269.94
3		RSP-Plantation Maintenance	ha	270.86	87.80
		Sub-Total			401.08

कार्यसूची संचालन समिति 6.7: राज्य प्राधिकरण (कैम्पा) प्रबन्धन सम्बन्धी समस्त व्यय को कार्यकारी समिति की अष्ठम बैठक (8th) में प्राप्त संस्तुति के क्रम में पूर्व व्यवस्था अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंक खाते के माध्यम से किये जाने के सम्बन्ध में

समिति को अवगत कराया गया कि कैम्पा के सुचारू सम्पादन के दृष्टिगत कार्यकारी समिति द्वारा निर्णय लिया गया है कि अर्जित ब्याज के अंतर्गत कैम्पा प्रबंधन, एवं कैम्पा स्टाफ के वेतन, भत्ते आदि से संबंधित व्यय उत्तरखण्ड कैम्पा के स्तर पर शासन से प्राप्त बजट के सापेक्ष पूर्व व्यवस्था अनुसार ही किया जाये। फील्ड सम्बन्धी अन्य कार्य शासन के निर्देशानुसार बजटीय/कोषागार के माध्यम से सम्पादित किए जाएं। समिति उपरोक्त से अवगत हुई एवं परियोजना के सुचारू संचालन के दृष्टिगत सदस्यों द्वारा इस पर सहमति व्यक्त करते हुए, अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्त में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा अध्यक्ष–संचालन समिति एवं समस्त उपस्थित सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की समाप्ति की गई।

(जी0एस0 पाण्डे)
अपर प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं
सदस्य सचिव–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा

(डॉ0 एस0एस0 सन्धू)
मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन एवं
अध्यक्ष–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

उत्तराखंड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखंड कैम्पा)
(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 30) की धारा 10(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)
वन मुख्यालय, 85–राजपुर रोड, देहरादून टेलीफैक्स : 0135–2744077 ई–मेल: ceocampa-forest-uk@nic.in /ceoukcampa@gmail.com
web site- www.ukcampa.org.in

पत्रांक– 111 /संचा0स0(6) दिनांक, देहरादून, 26 मई, 2022

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
2. प्रमुख सचिव/सचिव–वित्त, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा ।
3. प्रमुख सचिव/सचिव–नियोजन, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा
4. प्रमुख सचिव/सचिव–ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा ।
5. प्रमुख सचिव/सचिव–राजस्व, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा ।
6. प्रमुख सचिव/सचिव–कृषि, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा ।
7. प्रमुख सचिव/सचिव–जनजाति/समाज कल्याण, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति; उत्तराखण्ड कैम्पा।
8. प्रमुख सचिव/सचिव–पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा ।
9. प्रमुख सचिव/सचिव–विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा ।
10. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
11. मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
12. प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी–वन संरक्षण, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–संचालन समिति; उत्तराखण्ड कैम्पा।
13. अपर प्रमुख वन संरक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, भारत सरकार, 25–सुभाष रोड, देहरादून एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
14. नोडल अधिकारी, राज्य वन विकास अभिकरण (अपर प्रमुख वन संरक्षक–परियोजनाएं) एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
15. श्री एस0टी0एस0 लेप्चा, जनजाति मामलों के विशेषज्ञ/जनजाति समुदाय के प्रतिनिधि एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।

(डी.एस. पाण्डे)
अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखंड कैम्पा।

पत्रांक–111 (1)/संचा0स0(6), उक्त दिनांकित।
प्रतिलिपि :– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा के संज्ञानार्थ प्रेषित।

(डी.एस. पाण्डे)
अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखंड कैम्पा।

२० ०। २०१५ - ५० (५)

E-Mail:- dfo_badrinath_uta@yahoo.co.in, Phone/Fax No :- 01372-252175

II कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर II

पत्रांक 1384 / 11-6 दिनांक, गोपेश्वर, सितम्बर 09, /2022

सेवा में,

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड,
पौड़ी।

विषय— वर्ष 2022—23 की वार्षिक कार्ययोजना की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

संदर्भः— आपकी पत्र संख्या—642 / 3—19 दिनांक 06—09—2022.

महोदय,

आपके उपरोक्त संदर्भित पत्र से मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तराखण्ड कैम्पा की पत्र संख्या—310 / ए0पी0ओ0—22—23 दिनांक 06—09—2022 के साथ संलग्न वन भूमि हस्तातरण प्रकरणों की सूची के अनुसार प्रभाग के अंतर्गत वर्ष 2022—23 की कार्ययोजना में प्रस्तावित अग्रिम मृदा कार्य—क्षतिपूरक वनीकरण हेतु वन भूमि हस्तांतरण प्रकरणों का मिलान करते हुए प्रस्तावित क्षतिपूरक वनीकरण लक्ष्यों के प्रकरणवार सूचना उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में सूची में अंकित इस वन प्रभाग से संबंधित वन भूमि हस्तांतरण प्रकरणों का प्रभागीय अभिलेखों से मिलान से किया गया जिसमें अंकित प्रकरणों के सापेक्ष कतिपय प्रकरणों में वृक्षारोपण किया जा चुका है, कतिपय क्षेत्रो में म्यूटेशन नहीं हुआ है तथा कतिपय क्षेत्रों में वृक्षारोपण हेतु लक्ष्य अन्य वन प्रभागों को प्राप्त हैं, जिसका विवरण संलग्नक—1 के रूप में आपके अवलोकनार्थ संलग्न प्रेषित है।

वर्ष 2022—23 की वार्षिक कार्ययोजना में इस वन प्रभाग द्वारा अग्रिम मृदा कार्य हेतु 156.3982 है0 क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है जिसके सापेक्ष संशोधित प्रकरणवार / स्थलवार सूचना संलग्नक—2 के रूप में तैयार कर आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित की जा रही है।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांक 1384 / 11-6 उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपिः— मुख्य वन संरक्षक (गढवाल), उत्तराखण्ड, पौडी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

Scanned with CamScanner

Detail of Deposited Amount,Expenditure,Balance Amount against cases to be taken 2022-23 fot plantation

S.No.	Name of Project	Year of Approval	In prin.sec. no.	Division	Forest area Diverted	Total CA Stipulated	Amount Deposit (In Lakhs)	Total CA Done	Expenditure(Upto 2021-22)	Finals Balance of CA (Upto 2021-22) Amount(upto 2021-22	Balance Amount (upto 2021-22	ASW 2021-22 Physical Targets(in Lakhs)	ASW 2021-22 Expenditure done (in lakhs)	Plantation 2022-23 Targets (in Ha.)	Plantation 2022-23 Proposed Expenditure (in lakhs)	ASW 2022-23 Physical Targets (in ha.)	ASW 2022-23 Proposed Expenditure(in lakhs)	CA Balance (in ha.)	Balance Amount against the cases to be taken in	Remarks /if any	प्रथम द्वारा परीक्षोपरान्त 2022-23 ... अंतिम मूल्य ... हेतु प्रस्तावित धनराशि ...
Garhwal Zone:- Badrinath Forest Division Gopeshwar																					
1	Padair Gaon to Pairi Motor Marg	2018	8B/UCP/06/122/2015/FC/1049	Badrinath	10.71	21.42	59.69	7.42	26	34	33.69	7.42	1.99	7.42	3.43			6.58	28.28	हस्तान्तरित वन भूमि 10.71हे0 के सापेक्ष 21.42हे0 वनीकरण वर्ष 20..-21 में 14.00 है0 वनीकरण तथा वर्ष 2021-22 में 7.42 है0 वनीकरण कुल 21.42 है0 वनीकरण पूर्ण किया जा चुका है।	0.0000
2	Division of 197.173 HA OF FOREST LAND FOR 252 MW DEVSARI HYDRO ELECTRIC	2018	F.NO.8-59/12-FC	Badrinath	197.17	395	253.4	0	0	395	253.4	43.18	40.37	41.18	16.96	82.44	77.84	217.38	118.43	हस्तान्तरित वन भूमि 197.1.. है0 के सापेक्ष वर्ष 2021-22 में ..37 है0 तथा वर्ष 202.-23 में अंतिम ... हेतु प्रस्तावित 08 है0 किया गया।	68.0000
3	Widening of SH-11 KM 140 (Chamoli) to 150 (Simli Aalagad Near Bridge) MR	2013	8B/UCP/06/99/2010/FC/736	Badrinath	8.75	17.5	13.52	0	0	17.5	13.52					[illegible]	1.48	16	12.04	उक्त प्रकरण ... से सम्बन्धित है।	0.0000
4	Construction of Manmati-Choting-Harmal-Jhaliya Motor Road	2018	8B/UCP/06/41/2017/FC/1782	Badrinath	15.08	30.15	92.43	12.95	45.44	17.2	46.99	16.11	16.97	16.11	7.09			1.09	22.93	हस्तान्तरित वन भूमि 15.08है0 के सापेक्ष 30.152 है0 वनीकरण वर्ष 2019-20 में 12.95 है0 वनीकरण वर्ष 2020-21 में 12.95 है0 वनीकरण तथा वर्ष 2021-22 में 17.202 है0 कुल 30.152 है0 वनीकरण पूर्ण किया जा चुका है।	0.0000
5	Tharali-Dewal Nandkesri MR	2007	8B/UCP/06/105/2006/FC/866	Badrinath	5.4	10.8	5.46	0	0	10.8	5.46	13	0.21	10	4.12			0.8	1.14	हस्तान्तरित वन भूमि 5.40है0 के सापेक्ष 10.80है0वनीकरण वर्ष 2014-15 में 10.00है0 तथा 2021-22 में 0.80है0 कुल 10.80 है0 वनीकरण पूर्ण किया जा चुका है।	0.0000
6	Kurod-Manjhi MR (PMGSY)	2009	8B/UCP/06/27/2009/FC/383	Badrinath	2.61	5.22	3.2	0	0	5.22	3.2	5	0.06	5	2.06			0.22	1.08	हस्तान्तरित वन भूमि 2.61 है0 के सापेक्ष 5.22है0 वनीकरण वर्ष 2015-16 में 5.00है0 तथा वर्ष 2021-22 में 0.22है0 कुल 5.22 है0 वनीकरण पूर्ण किया जा चुका है।	0.0000
7	Tharali-Pengarh MR(1-4km)	2008	8B/UCP/06/112/2005/FC/2265	Badrinath	1.56	3.12	1.58	0	0	3.12	1.58	3	0.03	3	1.24			0.12	0.41	हस्तान्तरित वन भूमि 1.56 है0 के सापेक्ष 3.12 है0 वनीकरण वर्ष 2013-14 में 3.00है0 तथा वर्ष 2014-15 में 0.12है0 कुल 3.12है0 वनीकरण पूर्ण किया जा चुका है।	0.0000

3

S.No.	Name of Project	Year of Approval	In.prin.sec. no.	Division	Forest area Diverted	Total CA Stipulated	Amount Deposit (In Lakhs)	Total CA Done	Expenditure(Upto 2021-22)	Finals Balance of CA (Upto 2021-22) Amount(upto 2021-22	Balance Amount (upto 2021-22	ASW 2021-22 Physical Targets(In Lakhs)	ASW 2021-22 Expenditure done (In lakhs)	Plantation 2022-23 Targets (In Ha.)	Plantation 2022-23 Proposed Expenditure (In lakhs)	ASW 2022-23 Physical Targets (In ha.)	ASW 2022-23 Proposed Expenditure(In lakhs)	CA Balance (In ha.)	Balance Amount against the cases to be taken in	Remarks /If any	प्रभाग द्वारा परिनिरीक्षण वर्ष 2022-23 में अग्रिम मृदा कार्य हेतु प्रस्तावित धनराशि है में।
8	Kodia-Hat bridge for Vishnugad Pipalkoti HEP	2007	8B/UCP/06/13/2007/FC/398	Badrinath	1.79	3.58	1.81	0	0	3.58	1.81	3.5	0.02	3.5	1.44			0.08	0.35	वास्तविक वन भूमि 1.7900 है0 के सापेक्ष 3.576 है0 वनीकरण वर्ष 2014-15 में 3.50है0 तथा वर्ष 2021-22 में 0.076है0 कुल 3.576 है0 वनीकरण पूर्ण किया जा चुका है।	0.0000
9	Kandai-Pagna MR(PMGSY)	2007	8B/UCP/06/53/2006/FC	Badrinath	10.08	20.15	10.2	19.97	20.1	0.18	0.16	0.18	0.16	0.18	0.16			0	-0.16	For Future Maint	0.0000
10	CONSTRUCTION OF THARALI TO PAINGARH MOTOR ROAD UNDER (PMGSY)	2019	8B/UCP/05/54/2019/FC/704	Badrinath	4.812	9.624	29.5	4.57	18.24	4.87	23.76	4.87	4.81	4.87	2.01			0	4.44	For Future Maint	0.0000
11	Construction of Churagaad to Sutol Kanol Motor Road under PMGSY In Phase-XVII	2019	8B/UCP/06/590/2019/FC/1882	Badrinath	6.7	13.41	41.09	0	0	13.41	41.09	13.41	13.22	13.41	5.52			0	22.15	For Future Maint	0.0000
12	Construction of Nyay Panchayat Mukhyalay Ustoli Motor Road in Distict Chamoli	2015	951/X-4-15/1(485)/2015	Badrinath	4.56	9.13	23.12	0	0	9.13	23.12	9.13	2.44	9.13	3.76			0	16.92	For Future Maint	0.0000
13	Construction of Langasu to Maikhura Motor Road Under PMGSY	2020	8B/UCP/06/11/2016/FC/1253	Badrinath	4.13	8.26	27.78	0	0	8.26	27.78	8.26	14.37	8.26	3.4			0	10.01	For Future Maint	0.0000
14	Construction of Ustoli to Lakhi Sarpani Motor Road Under PMGSY	2019	8B/UCP/06/130/2019/FC/1264	Badrinath	1.91	3.82	11.69	0	0	3.82	11.69				0	3.82	3.76	0	7.93	For Future Maint	0.0000
15	JAYKANDI TO SIROLI	2015	1012/X-4-15/1(506)/2015	Badrinath	2.3	4.6	10.59	0	0	4.6	10.59				0	4.6	4.54	0	6.06	उक्त प्रकरण केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग से सम्बन्धित है।	0.0000
16	Construction of Baramgad Raee Motor Road	2018	8B/UCP/06/77/2017/FC/1577	Badrinath	1.81	3.62	11.08	0	0	3.62	11.08	3.62	3.57	3.62	1.49			0	6.02	For Future Maint	0.0000
17	CONSTRUCTION OF NANDPRAYAG-GHAT KM 11 TO GANDASU MOTOR RAOD	2017	1136/X-4-15/1(583)/2015	Badrinath	2.22	4.45	11.26	0	0	4.45	11.26	4.45	4.65	4.45	1.83			0	4.78	For Future Maint	0.0000

Scanned with CamScanner

S.No.	Name of Project	Year of Approval	In.prin.sec. no.	Division	Forest area Diverted	Total CA Stipulated	Amount Deposit (In Lakhs)	Total CA Done	Expenditure (Upto 2021-22)	Finals Balance of CA (Upto 2021-22) Amount(upto 2021-22	Balance Amount (upto 2021-22	ASW 2021-22 Physical Targets(In Lakhs)	ASW 2021-22 Expenditure done (in lakhs)	Plantation 2022-23 Targets (In Ha.)	Plantation 2022-23 Proposed Expenditure (In lakhs)	ASW 2022-23 Physical Targets (In ha.)	ASW 2022-23 Proposed Expenditure(In lakhs)	CA Balance (In ha.)	Balance Amount against the cases to be taken in	Remarks /If any	प्रभाग द्वारा परीक्षोपरान्त वर्ष 2022-23 में अग्रिम मृदा कार्य हेतु प्रस्तावित धनराशि है0 में।
18	NH Km.399 (Karanprayag) to Km. 419(Nandprayag) MR	2012	8B/UCP/06/37/2011/FC/02	Badrinath	27.02	54.04	70.25	225	44.13	31.54	26.12	31.54	8.44	31.56	14.57			0	3.11	For Future Maint	0.0000
19	TANGNI TALLI TO TANGANI MALLI MOTOR ROAD	2019	8B/UCP/06/188/2019/FC/2071	Badrinath	4.34	6.67	20.45	4.25	15.03	2.42	5.42	2.42	2.39	2.42	1			0	2.03	For Future Maint	0.0000
20	Construction of Nauli Bazar to Thapli Motor Road Under Atal Adarsh Gram Yojna in District	2018	700/X 417/1(122)/2015	Badrinath	1.253	2.506	3.58	0	0	2.51	3.58					2.51	2.47	0	3.11	वर्ष 2022-23 में अग्रिम मृदा कार्य हेतु प्रस्तावित किया गया	2.5060
21	Dungru to Ratgaon Mr	2015	8B/UCP/06/02/2014/FC/242	Badrinath	1.395	2.79	3.63	0	0	2.79	3.63					[illegible]	2.75	0	0.88	हस्तान्तरित वन भूमि 1.395 है0 के सापेक्ष 2.79 है0 वनीकरण वर्ष 2020-21 में 2.79 है0 वनीकरण पूर्ण किया जा चुका है।	0.0000
22	Kuhaid-Mathana LVR to Matharpal-Naitholi MR	2015	8B/UCP/06/160/2011/FC/1526	Badrinath	6	12	15.6	5	9.68	7	5.92	7	3.88	7	3.23			0	0.81	For Future Maint.	0.0000
23	Narayanbagar-Bhagoti MR(PMGSY)	2007	8B/UCP/06/107/2006/FC/781	Badrinath	8.25	16.51	7.59	16.47	7.57	0.04	0.02	0.04	0.04	0.04	0.02			0	-0.04	For Future Maint	0.0000
24	Agarpur-Ratoli-Kamyar MR	2015	8B/UCP/06/61/2012/FC	Badrinath	1.8	3.6	2.93	3.5	2.85	0.1	0.08	0.1	0.09	0.1	0.04			0	-0.05	For Future Maint	0.0000
25	Angioli-Majetha-Kothi-Sidoli MR	2008	8B/UCP/06/166/2006/F	Badrinath	4.05	9.1	4.1	8.9	4.01	0.2	0.09	0.2	0.2	0.2	0.08			0	-0.19	For Future Maint.	0.0000
26	Boragad Chaai MR (PMGSY)	2009	8B/UCP/06/124/2008/FC/1195	Badrinath	4.05	8.1	6	5.1	3.78	3	2.12					[illegible]	2.96	0	-.74	हस्तान्तरित वन भूमि 4.05 है0 के सापेक्ष 8.10 है0 वनीकरण वर्ष 2015-16 में 3.00है0 तथा वर्ष 2019-20 में 5.10 है0 कुल 8.10 है0 वनीकरण पूर्ण किया जा चुका है।	0.0000
27	Ujawalpur Jaspur-Gwar Dungri MR	2010	8B/UCP/06/335/2009/FC/1302	Badrinath	1.71	3.42	2.09	0	0	3.42	2.09				0	3.42	3.37	0	-1.28	जिलाधिकारी को सिविल भूमि के म्यूटेशन हेतु लिखा गया है। उक्त प्रकरण में म्यूटेशन होने के उपरान्त अगामी वर्ष में वृक्षारोपण किया जायेगा।	0.0000
28	Gadora Chatuli-Kiruli MR (PMGSY)	2010	8B/UCP/06/257/2009/FC/78	Badrinath	2.7	5.4	3.64	0	0	5.4	3.04					5.4	5.33	0	-1.69	जिलाधिकारी को सिविल भूमि के म्यूटेशन हेतु लिखा गया है। उक्त प्रकरण में म्यूटेशन होने के उपरान्त अगामी वर्ष में वृक्षारोपण किया जायेगा।	0.0000

संलग्नक-1-95

S.No.	Name of Project	Year of Approval	In.prin.sec. no.	Division	Forest area Diverted	Total CA Stipulated	Amount Deposit (In Lakhs)	Total CA Done	Expenditure (Upto 2021-22)	Finals Balance of CA (Upto 2021-22) Amount(upto 2021-22	Balance Amount (upto 2021-22	ASW 2021-22 Physical Targets(In Lakhs)	ASW 2021-22 Expenditure done (In lakhs)	Plantation 2022-23 Targets (In Ha.)	Plantation 2022-23 Proposed Expenditure (In lakhs)	ASW 2022-23 Physical Targets (In ha.)	ASW 2022-23 Proposed Expenditure(In lakhs)	CA Balance (In ha.)	Balance Amount against the cases to be taken in	Remarks /If any	प्रभाग द्वारा परीक्षोपरान्त वर्ष 2022-23 में अग्रिम मृदा कार्य हेतु प्रस्तावित रोपण है० में।
29	Darchak (Byarachak)-Sainj MR (PMGSY)	2010	8B/UCP/06/166/2009/FC/615	Badrinath	4.05	8.1	4.96	0	0	8.1	4.96					8.1	7.99	0	-3.03	जिलाधिकारी को सिविल भूमि के म्यूटेशन हेतु लिखा गया है। वहां प्रकरण में म्यूटेशन होने के उपरान्त आगामी वर्षों में वृक्षारोपण किया जायेगा।	0.0000
30	Ujwalpur-Sem-Dharkot MR (PMGSY)	2009	8B/UCP/06/129/2009/FC/382	Badrinath	4.44	8.87	5.51	0	0	8.87	5.51					8.87	8.75	0	-3.24	For Future Maint.	0.0000
31	Srikot to Mathkot MR (PMGSY-7)	2010	8B/UCP/06/32/2009/FC/787	Badrinath	4.5	8.99	5.51	0	0	8.99	5.51					8.99	8.87	0	-3.36	जिलाधिकारी को सिविल भूमि के म्यूटेशन हेतु लिखा गया है। वहां प्रकरण में म्यूटेशन होने के उपरान्त आगामी वर्षों में वृक्षारोपण किया जायेगा।	0.0000
32	Ambedkargram Kaub IVR	2000	8B/09/1867/99/FC/665	Badrinath	4.78	9.6	2.26	4.8	1.13	4.8	1.17					4.8	4.73	0	-3.61	हस्तान्तरित वन भूमि 4.78है० के सापेक्ष 9.60 है० वनीकरण वर्ष 2000-01 में 9.60 है० वनीकरण पूर्ण किया जा चुका है।	0.0000
33	Sagwara-Kuni-Partha MR (PMGSY-6)	2009	8B/UCP/06/123/2008/FC/24	Badrinath	8.64	17.28	10.59	0	0	17.28	10.59					17.28	17.04	0	-6.45	जिलाधिकारी को सिविल भूमि के म्यूटेशन हेतु लिखा गया है। वहां प्रकरण में म्यूटेशन होने के उपरान्त आगामी वर्षों में वृक्षारोपण किया जायेगा।	0.0000
34	RIM NH. Km 430 to 446 (Chamoli-Pipalkoti) MR widening (BRO)	2010	8B/UCP/06/25/2009/FC/965	Badrinath	18.67	37.4	22.9	19	19.54	18.4	3.36	18.4	4.91	18.4	8.5			0	-10.05	For Future Maint	0.0000
35	DIVERSION OF FOREST LAND FOR WIDENING AND STRENGTHENING OF	2020	08/UCP/06/76/2020/778	Badrinath Gopeshwar (16 ha by Kedarnath	40.89	81.78	276.49	0	0	81.78	279.49	40.5	39.94	40.5	34.82	41.28	40.71	0	161.02	हस्तान्तरित वन भूमि 40.89है० के सापेक्ष 81.7832 है० वनीकरण में से बद्रीनाथ वन प्रभाग को 65.7832 [illegible] है० भूमि में वृक्षारोपण एवं केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग को 16.00 है० भूमि में वृक्षारोपण [illegible] 82.00 है० भूमि में वृक्षारोपण हेतु [illegible] प्राप्त हुए थे। जिसमें से बद्रीनाथ वन प्रभाग द्वारा 40.50 है० वर्ष 2022 में रोपण किया गया है शेष 26.00 है० वर्ष 2022-23 में अग्रिम मृदा कार्य हेतु प्रस्तावित किया गया है।	26.0000

Scanned with CamScanner

संलग्नक-1 5/6

S.No.	Name of Project	Year of Approval	In prin.sec. no.	Division	Forest area Diverted	Total CA Stipulated	Amount Deposit (in Lakhs)	Total CA Done	Expenditure(Upto 2021-22)	Finals Balance of CA (Upto 2021-22) Amount(upto 2021-22	Balance Amount (upto 2021-22	ASW 2021-22 Physical Targets(in Lakhs)	ASW 2021-22 Expenditure done (in lakhs)	Plantation 2022-23 Targets (in Ha.)	Plantation 2022-23 Proposed Expenditure (in lakhs)	ASW 2022-23 Physical Targets (in ha.)	ASW 2022-23 Proposed Expenditure(in lakhs)	CA Balance (in ha.)	Balance Amount against the cases to be taken in	Remarks /If any	प्रभाग द्वारा परीक्षणोपरान्त वर्ष 2022-23 में अग्रिम मृदा कार्य हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल है० में।
36	Vishanugad Pipalkoti HEP	2014	2812/7.3-2013-300(3049)/2009	Badrinath, Kedarnath, Nandadevi	80.507	80.507	104.0591	80.507	11.799	92.8601										हस्तान्तरित वन भूमि 80.507 है० के सापेक्ष 50.507 है० भूमि वनीकरण हेतु प्राप्त हुये जिसमें से प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग को 56 है० के सापेक्ष वर्ष 2021-22 10 है० वनीकरण कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा वर्ष 2022-23 की कार्य योजना में 48 है० अग्रिम मृदा कार्य प्रस्तावित किया गया।	48.0000
37	Construction of Gwad-didoli-riktoli-partoli-kimoli Motor road	2021	08-UCP/De/80/2021/FC/928	Badrinath	2.2	4.4	16.31969	4.4	0	4.4	16.31969	0	0	0	0	0.00	0	0			4.4000
38	Construction of Ustoli- Lakhi Sarpani Motor Road Under PMGSY	2020	08/UCP/De/130/2019/FC/1375	Badrinath	1.9075	3.815	11.69415	3.815	0	3.815	11.69415	0	0	0	0	0.000	0	0	11.69415		3.8150
39	Construction of Motor Road from Thirpak kadai motor Road Km 02 to Chaupdakot	2022	08/UCP/De/152/2019/FC/1401	Badrinath	2.367	4.734	13.192	4.734	0	4.734	13.192	0	0	0	0	0.00	0	0	13.192		4.7340
	Total:-															198.80					357.4550

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर

Scanned with CamScanner

Format A

Site Specific Activity Plan

Compensatory Afforestation (CA)

UTTARAKHAND CAMPENSATORY AFFORESTATION FUND MANAGEMENT AND PLANNING AUTHORITY (UTTARAKHAND CAMPA)

ANNUAL PLAN OF OPERATION 2022-23

A(1) - ADVANCE SOIL WORK (ASW - Revised)

NAME OF FOREST DIVISION: - Badrinath Forest Division, Gopeshwar

S. No.	Name of Land Transfer Case	File No. / Case No.	Year of Approval	Forest Land Transferred (in ha)	Stipulated CA Target (in ha)	CA completed So far (in ha)	ASW Physical Target for 2022-23	ASW Financial Target for 2022-23 (in Lakh Rs.)	Location Details		Comments (if any)
									Forest Range	Beat/ Comptt/ Village	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	NH-07, Km-399.00 Karnaprayag to Km-460.00 Patalganga Road Choudikurn and Sudhrikurna	FP/UK/ROAD/ 39349/2019	2020	40.8916	65.7832	40.5000	26.0000	25.64	East Pindar	Nawali-V, CN-1a(Patch-Ist)	6.0000
									East Pindar	Nawali-V, CN-1a(Patch-IInd)	5.0000
									West Pindar	Kunjakot-I, CN-4a	5.0000
									West Pindar	Kunjakot-I, CN-4b	10.0000
										Total:-	26.0000
2	Dewsaari Hydro Electric Project construction	FP/UK/HYD/13 58/2013	2019	197.1730	394.3460	41.1820	68.0000	67.07	Center Pindar	Pindarpar-I CN-12	3.0000
									Center Pindar	Pindarpar-II CN-9	5.0000
									Center Pindar	Ooni Resreve, CN-1	3.0000
									Center Pindar	Badhangadi Reserve, CN-2a	11.0000
									Center Pindar	Badhangadi Reserve, CN-1	2.0000
									Center Pindar	Pindarpar-II CN-4	12.0000
									East Pindar	Navali III CN-7	5.0000
									East Pindar	Navali III CN-4b	10.0000
									East Pindar	Navali III CN-3b	7.0000
									East Pindar	Pindarpar-IV, CN-5	5.0000
									East Pindar	Pindarpar-IV, CN-2	5.0000
										Total:-	68.0000
3	Vishnugga-Pipalkoti HEP	-	2013	5.6680	58.0000	10.0000	48.0000	47.34	Chamoli	Dasoli-III, CN-11a	5.0000
									Chamoli	Dasoli-VIII(S), CN-8	15.0000
									Chamoli	Dasoli-IV, CN-16a	6.0000
									Chamoli	Dasoli-IV, CN-6	15.0000
									Chamoli	Dasoli-III, CN-11	7.0000
										Total:-	48.0000

Scanned with CamScanner

संलग्नक - 2-2/2

S. No.	Name of Land Transfer Case	File No. / Case No.	Year of Approval	Forest Land Transferred (in ha)	Stipulated CA Target (in ha)	CA completed So far (in ha)	ASW Physical Target for 2022-23	ASW Financial Target for 2022-23 (in Lakh Rs.)	Location Details		Comments (if any)
									Forest Range	Beat/ Comptt/ Village	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Construction of Ustoli to Lakhi-Sarpani Motor Road Under PMGSY	FP/UK/ROAD/ 38330/2019	2020	1.9075	3.8150	0.0000	3.8150	3.76	East Pindar	Pindarpar-III, CN-4	3.8150
5	Construction of Nauli Bazar to Thapli Motor Road Under Atal Adarsh Gram Yojna in District Chamoli	FP/UK/ROAD/ 9405/2015	2018	1.2530	2.5060	0.0000	2.5060	2.47	West Pindar	Thapli Civil (Khasra no 223)	2.5060
6	Construction of Motor Road from Thirpak Kandai Motor Road Km 02 to Choprakot.	FP/UK/ROAD/ 11421/2015	2022	2.3670	4.7340	0.0000	4.7340	4.67	Nandprayag	Tolna Civil	4.7340
7	Construction of Gwad Didioli Rikhtoli Partoli Kimoli Motor Road	FP/UK/ROAD/ 62388/2020	2021	2.2000	4.4000	0.0000	4.4000	4.34	West Pindar	Gwad Civil (Khasara No 1469)	4.4000
	G. Total:-			251.4601	533.5842	91.6820	157.4550	155.29			157.4550

नोटः– क्र0सं0–5 पर अंकित विष्णुगाड–पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना निर्माण हेतु हस्तांतरित वन भूमि के सापेक्ष इस वन प्रभाग को प्राप्त 58.00 है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण का लक्ष्य आवंटित था जिसके सापेक्ष प्रभाग के नाम नामांतरित सिविल भूमि के 10.00 है0 क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य वर्ष 2021–22 में किया जा चुका है। शेष 48.00 है0 क्षेत्र वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त न होने से उच्च स्तर से जारी निर्देशानुसार उनके स्थान पर अन्य आरक्षित अवनत वन भूमि का चयन करते हुए स्वीकृति हेतु सक्षम उच्च स्तर को प्रस्ताव प्रेषित किया गया जो उपरोक्तानुसार वर्ष 2022–23 की कार्ययोजना में प्रस्तावित किए गए हैं जिनमें स्वीकृति प्राप्त होने की दशा में ही अग्रिम मृदा कार्य कराया जाएगा।

Signature: ________

Divisional Forest Officer (DFO)

Badrinath Forest Division Gopeshwar

Scanned with CamScanner

E-Mail:- dfo_badrinath_uta@yahoo.co.in, Phone/Fax No :- 01372-252175

।। कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ।।

पत्रांक 3129 / 11-6 दिनांक, गोपेश्वर, दिसम्बर, 27 /2022

Annexure- 11

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
/मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा, देहरादून।

विषय– कैम्पा के वर्ष 2022–23 के वार्षिक कार्ययोजना की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

संदर्भः– आपकी पत्र सं0 444/3–3(6)/2022–23/बजट रिलीज दिनांक 16.12.2022.

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम में अवगत कराना है कि आपकी पत्र सं0 310/ए0पी0ओ0–22–23 दिनांक 06.09.2022 से वांछित वर्ष 2022–23 की वार्षिक कार्ययोजना इस कार्यालय की पत्र सं0 1384/11–6 दिनांक 09.09.2022 से अग्रिम मृदा कार्य हेतु 157.455 है0 क्षेत्र प्रकरणवार सूचना वन संरक्षक, गढवाल वृत्त पौढी को प्रेषित की गयी। आपके सन्दर्भित पत्र द्वारा बद्रीनाथ वन प्रभाग को अग्रिम मृदा कार्य हेतु 280.20 है0 क्षेत्र का लक्ष्य स्वीकृत कर प्रकरणवार सूचना संलग्न कर प्रेषित की गयी, उक्त सूची में अंकित प्रकरणो में से कुछ प्रकरणो में पूर्व के वर्षो में ही वृक्षारोपण कार्य किया जा चुका है तथा कुछ प्रकरण में म्यूटेशन नही हुआ है। आप द्वारा मौखिक रूप से अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा दिसम्बर 2019 में मा0 उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये शपथ पत्र में राज्य के अवशेष लक्ष्यों को पूरा किया जाना है, तथा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अग्रिम मृदा कार्यो के अब तक के सभी अवशेष लक्ष्यो को 280.20है0 क्षेत्र में सम्मिलित करते हुए लक्ष्य को पूरा किया जाना है।

उक्त के अनुपालन में प्रभाग को उपरोक्त संदर्भित पत्र से प्रेषित सूची में अंकित प्रकरणो के सापेक्ष जिन प्रकरणो में वृक्षारोपण कार्य पूर्व में ही किये जा चुके है, उनके सापेक्ष नये प्रकरण में अग्रिम मृदा कार्य किया जाना है, जिन्हे इस कार्यालय द्वारा प्रेषित 2022–23 वार्षिक कार्ययोजना में प्रस्तावित 157.455है0 के अतिरिक्त देय लक्ष्यो को पूरा करने हेतु कुल 280.20है0 क्षेत्रो में अग्रिम मृदा कार्य किया जाना है। जिसकी सूची संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(सर्वेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

CS CamScanner

Scanned with CamScanner

वर्ष 2022–23 हेतु अग्रिम मृदा कार्य का सारांश

क्र0 सं0	प्रस्ताव का नाम	वर्ष	प्रभाग	हस्तान्तरित वन भूमि का क्षेत्रफल (है0 में)	अपर प्रमुख वन संरक्षक /मुख्य कार्यकारी कैम्पा कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची द्वारा सी0ए हेतु अग्रिम मृदा कार्य का लक्ष्य (है0 में)	प्रभाग द्वारा वर्ष 2022–23 हेतु अग्रिम मृदा कार्य का लक्ष्य (है0 में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1-	Choting to Udaypur Lagga Choting Motor Road	2022	बद्रीनाथ वन प्रभाग	4.41	8.82	-	क्षतिपूरक वृक्षारोपण में बदलाव होने का कारण प्रस्तावक विभाग द्वारा नये स्थल का चयन किया जा रहा है।
2-	Contruction of Motor Road from Thorpak kandai Motor Road Km 02 to choprakot	2022	बद्रीनाथ वन प्रभाग	2.367	4.73	4.734	वर्ष 2022–23 ए0पी0ओ0 में अग्रिम मृदा कार्य हेतु प्रस्तावित किया गया है।
3-	thapli motor Road Under Atal Adarsh Gram yojna in distirct chamoli	2022	बद्रीनाथ वन प्रभाग	1.253	2.506	2.506	वर्ष 2022–23 ए0पी0ओ0 में अग्रिम मृदा कार्य हेतु प्रस्तावित किया गया है।
4-	Dungri to Ratgaon MR.	2015	बद्रीनाथ वन प्रभाग	1.395	2.79	—	हस्तान्तरित वन भूमि 1.395 है0 के सापेक्ष 2.79 है0 वनीकरण वर्ष 2020–21 में 2.79 है0 वनीकरण पूर्ण किया जा चुका है।
5-	Ujjawalpur-jaspur-Gwar-Dungri MR	2010	बद्रीनाथ वन प्रभाग	1.71	3.42	—	जिलाधिकारी को सिविल भूमि के म्यूटेशन हेतु लिखा गया है। उक्त प्रकरण में म्यूटेशन होने के उपरान्त अगामी वर्ष में वृक्षारोपण किया जायेगा।
6-	Construction of Ustoli to Lakhi Sarpani Motor Road Under PMGSY	2021	बद्रीनाथ वन प्रभाग	1.9075	3.82	3.815	वर्ष 2022–23 ए0पी0ओ0 में अग्रिम मृदा कार्य हेतु प्रस्तावित किया गया है।
7-	Jaykandi to Sirtoli	2015	बद्रीनाथ वन प्रभाग	2.30	4.60	—	उक्त प्रकरण केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग से सम्बन्धित है।
8-	Ambedkar gram Kaub LVR	2000	बद्रीनाथ वन प्रभाग	4.78	4.8	—	हस्तान्तरित वन भूमि 4.784है0 के सापेक्ष 9.60 है0 वनीकरण वर्ष 2000–01 में 9.60 है0 वनीकरण पूर्ण किया जा चुका है।
9-	Barchak (Byarachak) Sanji MR (PM	2010	बद्रीनाथ वन प्रभाग	4.05	8.1	—	जिलाधिकारी को सिविल भूमि के म्यूटेशन हेतु लिखा गया है। उक्त प्रकरण में म्यूटेशन होने के उपरान्त अगामी वर्ष में वृक्षारोपण किया जायेगा।

Scanned with CamScanner

10-	Ujjwalpur-sem-dharkot MR.	2009	बद्रीनाथ वन प्रभाग	4.44	8.87	—	जिलाधिकारी को सिविल भूमि के म्यूटेशन हेतु लिखा गया है। उक्त प्रकरण में म्यूटेशन होने के उपरान्त अगामी वर्ष में वृक्षारोपण किया जायेगा।
11-	Srikot to Mathkot MR (PMGSY)	2010	बद्रीनाथ वन प्रभाग	4.5	8.99	—	जिलाधिकारी को सिविल भूमि के म्यूटेशन हेतु लिखा गया है। उक्त प्रकरण में म्यूटेशन होने के उपरान्त अगामी वर्ष में वृक्षारोपण किया जायेगा।
12-	Sagwara-Kuni-Parth MR(PMGSY)	2009	बद्रीनाथ वन प्रभाग	8.64	17.28	—	जिलाधिकारी को सिविल भूमि के म्यूटेशन हेतु लिखा गया है। उक्त प्रकरण में म्यूटेशन होने के उपरान्त अगामी वर्ष में वृक्षारोपण किया जायेगा।
13-	Wideing of SH-11 Km140 Chamoli to 150 simli atagad near Bridge MR	2013	बद्रीनाथ वन प्रभाग	8.75	1.5	—	उक्त प्रकरण केदारनाथ वन्यजीव से सम्बन्धित है।
14-	Diversion Of 197.173ha of Forest land for 252 MW Devsari Hydro Electric Project	2018	बद्रीनाथ वन प्रभाग	197.17	82.44	183.318	वर्ष 2022–23 ए0पी0ओ0 में 68.00 है0 अग्रिम मृदा कार्य हेतु प्रस्तावित किया गया है।
15-	Vishnuprayag-Mujaffer nagar T/Lin	2004	बद्रीनाथ वन प्रभाग	764.836	117.53	—	अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड देहरादून की पत्र सं0 3579/3–5–2 दिनांक 18.06.2005 के अनुसार इस वन प्रभाग में 95.05 है0 वन भूमि का हस्तान्तरण हुआ है। जिसके सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रभाग को 150 है0 लक्ष्य के अनुसार वर्ष 2005–06 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण 150 है0 पूर्ण किया जा चुका है।
16-	DIVERSION OF FOREST LAND FOR WIDENING AND STRENGTHENING OF	2020	बद्रीनाथ वन प्रभाग	40.89	—	26.00	वर्ष 2022–23 ए0पी0ओ0 में अग्रिम मृदा कार्य हेतु प्रस्तावित किया गया है।
17-	Vishanugad Pipalkoti HEP	2013	बद्रीनाथ वन प्रभाग	80.507	-	48.00	वर्ष 2022–23 ए0पी0ओ0 में अग्रिम मृदा कार्य हेतु प्रस्तावित किया गया है।
18	Construction of Gwad -didoli-riktoli-partoli-kimoli Motor road	2021	बद्रीनाथ वन प्रभाग	2.2	-	4.4	
	Narayanbagar-Chopta Motor Road to Paithani Motor Road. FP/UK/ROAD/36547/2018	2022		1.5830		3.166	

CS CamScanner
Scanned with CamScanner

	Devalpani to maltok Gram Bansudi Motor road FP/UK/ROAD/10549/2015	2020		0.9160		0.71	
	Development of Astro Village in Benitaal Place of District chamoli Under 13 District 13 Destination Scheme /Honourable CM Announcement No-335/2020 FP/UK/Others/120706/2021	2021		0.8282		1.6564	
	Construction of Kedarukhal to Baskwali Motor Road FP/UK/ROAD/34299/2018	2022		0.9800		1.96	
			योग		**280.20**	**280.265**	

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग,
गोपेश्वर

CS CamScanner
Scanned with CamScanner